भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

1939 में स्थापित भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता में, शिक्षा के माध्यम से अभिवृद्धि करना है, जिसे यह निरन्तर एवं आजीवन प्रक्रिया के रूप में देखता है। संघ प्रौढ़ शिक्षा को एक प्रक्रिया, कार्यक्रम और आन्दोलन के रूप में गतिशील बनाने की दिशा में प्रतिबद्ध है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार में कार्यरत स्वंयसेवी संगठनों, विश्वविद्यालयों, शासकीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के कार्यकलापों से समन्वय करता है। संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों का आयोजन और प्रौढ़ शिक्षा के विभिन्न आयामों पर निरंतर सर्वेक्षण तथा शोध के साथ, संघ अपने सदस्यों की प्रौढ़ शिक्षा विषयक जानकारी में नवीनता एवं प्रखरता बनाए रखने के लिए समूचे विश्व में अद्यतन विचार और अनुभव प्रस्तुत करने का निरन्तर प्रयत्न करता रहता है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु विभिन्न प्रयोगात्मक परियोजनाएं भी संचालित करता है। अपनी नीतियों के अनुसरण में संघ ने 'नेहरू साक्षरता पुरस्कार' एवं महिलाओं में निरक्षरता निवारण कार्य हेतु 'टैगोर साक्षरता पुरस्कार' की स्थापना की है। डा. जाकिर हुसैन स्मृति व्याख्यान प्रतिवर्ष किसी मूर्धन्य शिक्षाविद् द्वारा दिया जाता है। संघ हिन्दी एवं अंग्रेजी शोध कार्य के लिए डा. मोहन सिंह मेहता फेलोशिप भी प्रदान करता है।

संघ का अमरनाथ झा पुस्तकालय प्रौढ़, सतत् और जनसंख्या शिक्षा की सन्दर्भ सामग्री की दृष्टि से देश में अद्वितीय है। विविध सन्दर्भ पुस्तकों के संकलन के अतिरिक्त देश और विदेश से प्रकाशित प्रौढ़ शिक्षा संबंधी पत्र–पत्रिकाएं, सूचना एवं संदर्भ सामग्री भी इसमें उपलब्ध है। संघ, नेशनल इन्फार्मेटिक सेण्टर इंडिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा प्रायोजित डेलनेट से भी सम्बद्ध है। संघ द्वारा अभी हाल में प्रौढ़ एवं जीवनपर्यन्त अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान (इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एंड लाईफलॉंग एजूकेशन) की स्थापना भी कर दी गई है।

संघ प्रौढ़ शिक्षा विषय पर अनेक पुस्तकें व पत्रिकाएं प्रकाशित करता हैं, जो कि मुख्यतः प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों और नवसाक्षरों के लिए है। संघ 'इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ वर्कर्स एजूकेशनल एसोसिएशन्स' एवं 'एशियन साउथ पेसेफिक ब्यूरो आफ एडल्ट एजूकेशन' एवं 'इण्टरनेशनल कौंसिल आफ एडल्ट एजूकेशन' से भी सम्बद्ध है। संघ की सदस्यता उन सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए खुली है जो इसके आदर्शों एवं लक्ष्यों में विश्वास रखते हैं।

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

17–बी इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, महात्मा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110002
दूरभाषः 011–23379282, 23378436, 23379306
फैक्सः 011–23378206, ई–मेलः proudhshiksha@gmail.com
directoriaea@gmail.com
website: www.iaea-india.org; www.iiale.org

प्रौढ़ शिक्षा

मार्च 2010
वर्ष 53 अंक–8

सम्पादक मण्डल

संरक्षक
प्रो. भवानी शंकर गर्ग

अध्यक्ष
कैलाश चौधरी

इन्दिरा पुरोहित
ए.एच.खान
प्रफुल्ल नागर
के.आर. सुशीले गौडा
डा. विद्याविन्दु सिंह
डा. मदन सिंह

सहायक सम्पादक
बी. संजय

टंकण एवं रूपसज्जा
कृष्ण सिंह

इस अंक में

सम्पादकीय 2

प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों हेतु भारत में प्रशिक्षण
– वी. मोहनकुमार 3

महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम की जागरूकता का अध्ययन
– राजेश कुमार एवं भारती कुरील 10

पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान : संसाधनों का कुशल प्रबंधन
– अरूण प्रकाश पाण्डेय 19

मेरी अपनी कहानी
– रमेश चन्द्र पंत, निशात फारूख 24

जनपद बलरामपुर की साक्षरता और थारू युवा
– उषा राय 27

Impact of Infrastructural Facilities in Achieving Education for All: A Study of SSA under Siliguri Educational District
– M.U.Alam 30

मूल्यः 100 रूपये वार्षिक

पत्रिका में व्यक्त लेखकों के विचार उनके वैयक्तिक विचार हैं जिनसे संघ एवं सम्पादकीय सहमति अनिवार्य नहीं है ।

सम्पादकीय

महिला सशक्तीकरण के ऐतिहासिक मोड़ पर भारतीय संसद

'यूनिक आइडेन्टिफिकेशन अथारिटी ऑफ इण्डिया' के अध्यक्ष बनने से पहले नन्दन निलेकानी इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक सदस्य थे। द न्यूयार्क टाइम्स के प्रसिद्ध पत्रकार थामस एल फ्राइडमैन से उस दौरान हुई उनकी एक बातचीत में उनके द्वारा व्यक्त विचार कहा जाता है 'द वर्ल्ड इज फ्लैट' नामक विश्व प्रसिद्ध पुस्तक के रचना की आधारभूत प्रेरणा बनी। यह विचार उनके द्वारा वैश्वीकरण के सम्बन्ध में व्यक्त किया गया था। निलेकानी ने कहा था –द प्लेइंग फील्ड इज लेवल्ड नाउ (मैदान अब समतल हो गया है)। पर हम सभी जानते हैं कि दुनिया की आधी आबादी (महिलाओं) के लिए मैदान आज भी समतल तो दूर पर्याप्त ऊबड़–खाबड़ है। कम या ज्यादा, दुनिया के सभी देशों में महिलाओं को जीवन के हर क्षेत्र में असमान बर्ताव का सामना करना पड़ता है। समान कार्य के लिए उन्हें कहीं समान वेतन नहीं मिलता तो कहीं उन्हें स्वयं के शरीर सम्बन्धी निर्णय लेने की भी आजादी नहीं होती। भेदभाव की यह श्रृंखला दूर तक जाती है।

असमानता के मद्देनजर विश्व के 134 देशों में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारत 114वें क्रम पर आता है। अफ्रीका के एक छोटे से देश रवांडा की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 56.2 प्रतिशत है। पर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के राज्यसभा तथा लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्रमशः 9.5 तथा 9 प्रतिशत ही है। सम्मिलित रूप से विश्व के 154 देशों के संसदों में महिला प्रतिनिधित्व की यदि बात की जाय तो वह भी महज 18.3 प्रतिशत ही है।

ऐसे में 9 मार्च 2010 का दिन निश्चित तौर पर ऐतिहासिक माना जायेगा जब राज्यसभा ने सांय 7.25 पर हुए मतदान में 108वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में महिला आरक्षण बिल को एक के मुकाबले 186 मतों से पारित कर दिया। वे सभी लोग बधाई के पात्र माने जायेंगे जिन्होंने प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस विधेयक को पारित करने में मदद की। यदि आवश्यक सभी शर्तों को पूरा करते हुए यह विधेयक लागू हो जाता है तो लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 181 तथा 28 राज्य विधानसभाओं के कुल 4109 सीटों में से 1370 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी और यह सिलसिला सामान्य परिस्थितियों में 15 वर्षों अर्थात आगामी 3 आम चुनाओं तक चलता रहेगा।

पर इसके लागू करने के रास्ते में कई अन्य अड़चने हैं। सबसे पहले तो इस विधेयक को लोकसभा में पारित किया जाना है जिसके उपरान्त देश के 50 प्रतिशत राज्यों के विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित होने के बाद ही यह राष्ट्रपति की संस्तुति हेतु प्रस्तावित किया जा सकेगा।

गौरतलब है कि महिलाओं को राजनैतिक तौर पर सशक्त बनाने हेतु निर्मित इस विधेयक की यात्रा तकरीबन 14 वर्ष पुरानी है। 12 सितंबर 1996 को इसे 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में 11वीं लोकसभा में देवगौड़ा सरकार द्वारा पेश किया गया था। अगले दो प्रयास 12वीं और 13वीं लोकसभा में वाजपेयी सरकार द्वारा की गई। वाजपेयी सरकार ने पहला प्रयास 14 दिसंबर 1998 और दूसरा प्रयास 23 दिसंबर 1999 को किया। चौथा प्रयास संयुक्त प्रगतिशील सरकार द्वारा अपने पहले कार्यकाल में किया गया। लेकिन इन चारों ही प्रयासों में राजनैतिक समीकरण कुछ ऐसे थे कि विधेयक के पेश किये जाने के पूर्व ही उसकी विफलता का अनुमान लगाया जा सकता था। यह सुखद संयोग है कि आज देश का राजनैतिक समीकरण कुछ इस प्रकार बन चुका है जब इसके पारित हो जाने की उम्मीद जगी है। कुछ एक घटकों को छोड़ सम्पूर्ण प्रगतिशील गठबंधन, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित वामपंथी पार्टियां एक साथ इसे पारित कराने के लिए तत्पर हैं। ऐसे में लोकसभा पटल पर बेहतर रणनीति तैयार करने की चुनौती मौजूदा सरकार पर होगी। साथ ही सभी राजनैतिक पार्टियों सहित तमाम गैर–सरकारी संस्थाओं के नेतृत्व के समक्ष भी यह चुनौती होगी कि इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए हर हाल में देश के सर्वांगीण विकास में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने वाले इस विधेयक को पारित किया जाए।

बी.संजय

प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों हेतु भारत में प्रशिक्षण

— वी. मोहनकुमार

प्रशिक्षण का परंपरागत अर्थ कार्य कुशलता को प्रशिक्षक से शिक्षार्थी तक पहुंचाना है। यहां शिक्षार्थी को क्या सीखना चाहिए यह प्रशिक्षक ही तय करता है। इस मानसिकता में यह मान लिया जाता है कि प्रशिक्षक को हर चीज की जानकारी है जबकि शिक्षार्थी की जानकारी शून्य है जिसे प्रशिक्षक द्वारा भरा जाना है। यहां शिक्षार्थी की उपस्थिति गौण होती है और वह प्रशिक्षक द्वारा सीखाई जाने वाली हर चीज को सीखने के लिए बाध्य होता है।

इस संपूर्ण प्रक्रिया पर प्रशिक्षक का नियंत्रण होता है और यह शिक्षार्थी के सक्रिय सहभाग को कतई उत्साहित नहीं करता। प्रशिक्षण के इस प्रकार में लक्ष्य को परिभाषित करने से लेकर शिक्षार्थी के मूल्यांकन तक का कार्य प्रशिक्षक द्वारा किया जाता है। यहां तक की प्रशिक्षण की प्रक्रिया का चयन भी प्रशिक्षक की पसंद एवं सुविधा के अनुरूप किया जाता है। परिणाम यह होता है कि संपूर्ण प्रशिक्षण मात्र प्रशिक्षक के व्याख्यानों द्वारा ही संप्रेषित होता है। पूरा ध्यान विषय एवं उसके कलेवर पर केन्द्रित होता है। शिक्षार्थी की योग्यता भी विषय एवं उसके कलेवर संबंधित अर्जित विशेषज्ञता पर निर्भर होती है। इस प्रकार का प्रशिक्षण कुल मिलाकर विद्यालय अथवा औपचारिक शिक्षण जैसा ही होता है।

वास्तव में प्रशिक्षण है क्या? प्रशिक्षण एक सुनियोजित प्रयास है जिसका एक मात्र उद्देश्य परिवर्तन लाना होता है, ऐसा परिवर्तन जिसके माध्यम से शिक्षार्थी नवीन कुशलता अर्जित कर सकें तथा पूर्व में प्राप्त कुशलता को और बेहतर कर सकें ताकि संस्थान उनसे जो अपेक्षा रखती है उसे वे पूरा कर पायें। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि यद्यपि प्रशिक्षण अपने आप ही मानव संसाधन को कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता बावजूद इसके यह किसी संस्थान द्वारा अपने दूरगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने का अनिवार्य अंग है।

प्रशिक्षण और शिक्षण में पर्याप्त अंतर है। शिक्षण का अर्थ शिक्षार्थी में उन गुणों का समावेश करना है जिससे वह कोई कार्य कर सके। जबकि प्रशिक्षण में आज्ञा, अनुशासन तथा अनुधावन के माध्यम से कुशलताओं का समावेश किया जाता है। शिक्षक शिक्षार्थी तक सूचनाएं पहुंचा कर उन्हें सिखाता है जबकि प्रशिक्षक शिक्षण का सहयोगी कारक है। इस प्रकार यद्यपि शिक्षक और प्रशिक्षक इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के पर्याय के रूप में प्रयोग होता है पर ये दोनों एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न हैं।

गुणात्मक शिक्षण शिक्षार्थी के मानस में परिवर्तन लाता है। यह शिक्षार्थी को कई ऐसी मानसिक योग्यताएं प्रदान करता है जिन्हें शिक्षार्थी तमाम प्रकार की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकते हैं। यह उन्हें पूर्व में प्राप्त की गई दक्षताओं को भी बेहतर ढंग से उपयोग करना सिखाता है। इतना ही नहीं शिक्षण शिक्षार्थी में उस सर्तकता का सृजन करता है जिसके माध्यम से वे तमाम असंबद्ध

तत्वों में भी संबंध स्थापित कर पाते हैं जो सृजनात्मकता का मूल आधार है।

शिक्षण और प्रशिक्षण इन दो अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि शिक्षण जहां प्रदत्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षक के क्रियाकलापों को इंगित करता है वहीं प्रशिक्षण का संबंध गतिविधियों से होता है। प्रशिक्षक की प्रकृति, उनके उत्तरदायित्व एवं प्रशिक्षण की अवधि के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भिन्न–भिन्न प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इन सबके अतिरिक्त भी एक अच्छे प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित तत्वों का समावेश आवश्यक माना जाता है :

सहभाग – एक अच्छा प्रशिक्षण कार्यक्रम वह होता है जहां आयोजक, प्रशिक्षक और शिक्षार्थी सामूहिक रूप से मिलकर कार्यक्रम की संरचना एवं प्रबंधन दोनों ही करते हैं। एक जानकार शिक्षार्थी उसे कहा जा सकता है जिसके पास प्रशिक्षण कार्यक्रम की समय सारणी, चर्चा के शीर्षक, प्रत्येक शीर्षक के संदर्भ व्यक्ति, विषय संकलनकर्ता सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दैनिक क्रियाकलापों की भी जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध हो।

चर्चा – सामान्यतः प्रशिक्षण के दौरान किसी भी विषय का समावेश किसी भाषण अथवा व्याख्यान के माध्यम से किया जाता है। लेकिन सम्पूर्ण प्रशिक्षण को व्याख्यानों के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षार्थियों को अलग–अलग कर देता है। इसलिए प्रशिक्षण को जीवंत एवं समावेशी बनाने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि संबद्ध विषय पर प्रशिक्षार्थियों को भी अपने विचार रखने की अनुमति प्रदान की जाए। साथ ही चर्चा के उपरांत उन्हें स्पष्टीकरण तथा प्रश्न पूछने की भी स्वतंत्रता दी जाए। इस तरह प्रशिक्षार्थियों में विषय की गहरी समझ बन सकती है। यहां प्रशिक्षक को इस बात से सावधान रहना चाहिए कि सभी प्रशिक्षार्थियों का सहभाग सुनिश्चित किया जा सके। अमुमन ऐसा होता है कि चंद सक्रिय प्रशिक्षार्थी बार–बार प्रश्न पूछते हैं और शेष प्रशिक्षार्थी चर्चा में भाग भी नहीं ले पाते। चर्चा में सहभाग प्रशिक्षार्थियों में एक दूसरे से सीखने की योग्यता को बढ़ाती है। साथ ही इससे उनके मनोबल एवं अनुभव में भी बढ़ोतरी होती है।

ज्ञान का आदान–प्रदान – किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रशिक्षार्थी अलग–अलग जगहों से आते हैं एवं भिन्न–भिन्न प्रकार की कुशलताओं तथा योग्यताओं से युक्त होते हैं। अकसर ऐसा देखा जाता है कि सम्मिलित रूप से उनकी ये कुशलताएं नवीन कुशलताओं एवं योग्यताओं को जन्म देती हैं जिससे प्रशिक्षार्थियों के आत्मसम्मान एवं मनोबल दोनों में वृद्धि होती है। चूंकि ये परिवर्तन प्राथमिक अनुभवों पर आधारित होते हैं इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत प्रशिक्षार्थी इन नवीन कुशलताओं को भी अपने कार्यक्षेत्र में भलीभांति उपयोग कर लाभान्वित हो सकते हैं।

अनुभवों का आदान–प्रदान – कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम महज थ्यौरी (वैचारिक विश्लेषण) अथवा विविध प्रपत्रों तथा व्याख्यानों के माध्यम से संचालित नहीं किया जा सकता क्योंकि इन सबके माध्यम से प्रेषित सूचनाओं को प्रशिक्षार्थी कई बार समझ भी नहीं पाते। इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों

के दौरान प्रशिक्षार्थियों को अपने अनुभव एवं विचार एक–दूसरे से बांटने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इससे प्रशिक्षार्थी अन्य प्रशिक्षार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगों एवं अनुभवों को सीधे उनसे ही सुनते हैं। इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सुनने वाले शिक्षार्थी अविलंब नवीन अनुभवों एवं उससे हुए फायदे को स्वीकार कर लेते हैं तथा उसे अपने कार्यक्षेत्र में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं।

सच्चाई के करीब – प्रशिक्षण हमेशा सच्चे एवं व्यवहारिक संदर्भों में प्रदान किया जाना चाहिए। स्थान का चयन, संदर्भ व्यक्तियों की योग्यता, प्रशिक्षण साहित्य तथा सामग्री की भाषा और प्रशिक्षार्थियों को प्रदान की जाने वाली महत्ता कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिन्दु हैं जिनपर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अत्यंत अभिजात्य माहौल शिक्षार्थियों को अकादमिक एवं व्यवहारिक सच्चाईयों से दूर ले जाता है।

भारत में साक्षरता कार्यक्रम

स्वाधीनोत्तर भारत में असाक्षरता उन्मूलन सदैव ही भारत सरकार के प्रमुख राष्ट्रीय आग्रहों का अंग रहा है। स्वाधीनता के बाद के वर्षों में इस दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किए गए। इनमें सबसे पहला सुनियोजित प्रयास सन् 1954 में सामाजिक शिक्षा को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में समाहित कर किया गया। सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य बदलते सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्यों से लोगों का परिचय करा अपेक्षित सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्य को प्राप्त करना तथा देश के उज्ज्वल भविष्य के बारे में लोगों को आश्वस्त करना था। इस शिक्षण का व्यापक उद्देश्य परिवर्तनकालीन परिस्थितियों एवं उनकी समस्याओं से आम जनता को परिचित करा उन्हें असामाजिक गतिविधियों से लड़ना सिखाना था। अपने घर एवं आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना तथा जीवन को उपयोगी और आनंददायक बनाना समाजिक शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य था। लोग आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को सहकारिता के आधार पर व्यवस्थित कर सकें तथा सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के उत्तरदायित्व को व्यावहारिक तौर पर अपने जीवन में शामिल कर सकें, इस हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को भी सामाजिक शिक्षा की व्यापक परिधि में शामिल किया गया। अब सामाजिक शिक्षा का उद्देश्य बेहतर कुशलताओं की शिक्षा प्रदान कर तथा विज्ञान द्वारा विकसित नवीन तकनीकियों एवं ज्ञान की जानकारी के माध्यम से लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाना हो गया है।

सामाजिक शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य ज्यादा शिक्षा प्राप्त करने का आग्रह रखने वाले लोगों को सतत् शिक्षा के अवसर प्रदान करना भी था। इस प्रकार इसने एक जीवन पर्यान्त शिक्षा का स्वरूप ले लिया जहां आग्रही व्यक्ति न केवल उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार हेतु बल्कि महज ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से भी अपनी शिक्षा को किसी भी समय किसी भी स्तर पर जारी रख सकता है।

1954 में प्रारंभ सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के कारण प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों की प्रशिक्षण की जरूरत महसूस की गई। परिणामस्वरूप, शिक्षा विस्तार संस्थानों (Education Extension Institutes) का जन्म हुआ और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर सन् 1956 में नेश्नल फंडामेण्टल एजुकेशन सेण्टर (NFEC) की स्थापना की गई। सन् 1971 में यही केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय में रूपांतरित हो गया। नेशनल फंडामेण्टल एजुकेशन सेण्टर ने उपरोक्त योजना से संबद्ध सभी जिला समाज शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु पांच महीनों की एक विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाई। दुर्भाग्यवश सामुदायिक विकास कार्यक्रम ही लम्बे समय तक नहीं चल सका। परिणामस्वरूप प्रौढ़ शिक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी रूक गया और इससे संबद्ध संस्थानों ने स्वयं को विविध विस्तार कर्मियों के प्रशिक्षण तक सीमित कर लिया।

सन् 1967–68 के दौरान असाक्षरता उन्मूलन हेतु फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोगाम (FFLP) नामक एक अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरूआत की गई। इसकी शुरूआत हरित क्रांति के एक अंग के रूप में हुई जिसका उद्देश्य किसानों को उपज बढ़ाने संबंधी कार्यात्मक शिक्षा प्रदान करना था। कृषि, शिक्षा तथा सूचना एवं प्रसारण इन तीनों मंत्रालयों द्वारा इस कार्यक्रम का प्रारंभ एक परियोजना के रूप में सामूहिक रूप से उन विकास खंडों में किया गया जहां किसानों को उच्च उत्पादन वाले बीज, खाद एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की गई थी। साक्षरता इस पूरे कार्यक्रम का अनिवार्य अंग था। यद्यपि इस प्रयास का दुर्गामी उद्देश्य सन् 1977 तक देश के प्रत्येक जिले (400) में एक–एक परियोजना की स्थापना करना था पर केवल 140 परियोजनाएं ही अंत तक स्थापित की जा सकीं। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा इन सभी परियोजनाओं के परियोजना अधिकारियों को व्यवस्थित एवं विकेन्द्रित ढंग से शिक्षण प्रदान किया गया। जबकि निरीक्षक एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी उपरोक्त परियोजना अधिकारियों को सौंप दी गई। जिसके लिए इन सभी ने ऑल इंडिया रेडियो और शिक्षा के कृषि विभाग, फार्म तथा गृह इकाई की मदद से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। प्रशिक्षण मुख्यतः इस परियोजना हेतु विशेष रूप से विकसित पठन–पाठन सामग्री पर आधारित थी। प्रशिक्षण की अवधि लगभग दो सप्ताह की होती थी जिसे उपरोक्त तीनों मंत्रालयों से आमंत्रित विशेषज्ञों की मदद से कृषि शिक्षण केन्द्रों पर किया जाता था। दुर्भाग्यवश आर्थिक मदद के अभाव में फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोगाम आगे नहीं चल सका।

असाक्षरता उन्मूलन के लिए प्रथम राष्ट्रव्यापी प्रयास हेतु अक्टूबर 2, 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (NAEP) की शुरूआत की गई। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पांच वर्षों की निश्चित अवधि में 15 से 35 आयु वर्ग के 10 करोड़ असाक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाना था। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का लक्ष्य संबद्ध प्रौढ़ों को मात्र साक्षर बनाना ही नहीं बल्कि उनमें सामाजिक चेतना जागृत करना तथा उन्हें कार्यात्मक साक्षरता भी प्रदान करना था। इस प्रकार साक्षरता, सामाजिक चेतना एवं कार्यात्मकता यह तीनों ही राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अभिन्न अंग थे। यहां कार्यात्मकता का अर्थ दैनंदिन जीवन के अनुभवों से प्राप्त कुशलताओं को शिक्षार्थियों की योग्यता बढ़ाने हेतु उपयोग

करना था। सामाजिक चेतना का तात्पर्य जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उन मुद्दों को जानना, समझना तथा उनपर कार्यवाही करना था जो व्यक्ति, समुदाय तथा समाज को प्रभावित कर सकते थे।

राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के साथ ही 1978 में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए केन्द्र प्रयोजित एक अन्य योजना की भी शुरूआत की गई जिसका नाम ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजना (Rural Functional Literacy Project, RFLP) था। पहले से चल रहे 144 फार्मर्स फंक्शनल लिटरेसी प्रोगाम तथा 60 नॉन फार्मल एजुकेशन प्रोजेक्टस को अब आरएफएलपी के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। सन् 1987 तक आरएफएलपी के तहत परियोजनाओं की कुल संख्या 513 हो गई।

आरएफएलपी की तर्ज पर ही राज्यों ने भी अपनी बजटीय राशि से राज्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम (State Adult Education Programme, SAEP) नामक केन्द्र आधारित परियोजना का संचालन किया।

चूंकि उपरोक्त सभी कार्यक्रम समयबद्ध ढंग से निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित हो रहे थे इसलिए इनके संचालन के साथ ही प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण में कई नवीन आयाम शामिल हो गए। परियोजना आधारित इन कार्यक्रमों के तहत प्रत्येक परियोजना में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों की संख्या 100 अथवा 300 थी। प्रत्येक परियोजना का प्रबंधन एक प्रोजेक्ट आफीसर के द्वारा किया जाता था। 30 से 35 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का निरिक्षण एक निरिक्षक (सुपरवाइजर) के द्वारा किया जाता था जो प्रोजेक्ट आफीसर के प्रति जवाबदेह होता था। यहां प्रत्येक प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र की देखभाल एक अनुदेशक (इन्सट्रक्टर) द्वारा की जाती थी जो अपने निरिक्षक के प्रति जवाबदेह होता था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब प्रौढ़ शिक्षा कर्मी एक ही साथ अलग–अलग स्तरों पर कार्य कर रहे थे। फलस्वरूप, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गई। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के पूर्व प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम मुख्यतः भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होते थे जिन्हें राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता था। मात्र एक–दो जगहों पर ही ये केन्द्र स्वयंसेवी प्रयासों से संचालित होते थे। किन्तु राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम ने व्यापक स्तर पर स्वयंसेवी संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों को शामिल करने की वकालत की। परिणामस्वरूप, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को लागू करने हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

इसके अतिरिक्त समाज कल्याण मंत्रालय, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, आदि सरकारी विभागों के द्वारा भी समेकित बाल विकास योजना जैसे कई ऐसे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे थे, कार्यात्मक साक्षरता जिनका अनिवार्य अंग था। चूंकि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के संचालन हेतु नियुक्त कर्मियों की पृष्ठभूमि अलग–अलग थी इसलिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी अलग–अलग चरणों/स्तरों पर संचालित किया गया ताकि नियुक्त कर्मियों की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके।

प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, विषयवस्तु एवं पद्धति में एकरूपता लाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने आगे चलकर कई दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश दो राष्ट्रीय संगोष्ठियों में तैयार किए गए जिसमें देश–विदेश से प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र के जाने–माने शिक्षाविदों ने भाग लिया। यूनेस्को ने भी इस हेतु अपना अकादमिक सहयोग दिया। जहां एक ओर ये दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे थे वहीं दूसरी ओर जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी एवं राज्य संसाधन केन्द्रों के चयन/गठन के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रबंधन एवं अकादमिक सहयोग हेतु सहायक व्यवस्था भी विकसित हो गई। सामग्री प्रस्तुति, शोध एवं मूल्यांकन के अतिरिक्त राज्य संसाधन केन्द्रों को प्रशिक्षकों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व निरिक्षकों के माध्यम से परियोजना अधिकारियों को सौंप दिया गया।

सभी प्रकार के प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को तकनीकी मदद प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर राज्य संसाधन केन्द्रों का गठन किया गया। इनका एक महत्वपूर्ण दायित्व परियोजना अधिकारियों एवं निरिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना था। राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र अर्थात प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों एवं अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम आयोजित करने का दायित्व अपने पास रखा। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय ने समय–समय पर प्रशिक्षण हेतु जारी दिशानिर्देशों का पुर्नमूल्यांकन तथा परिणामस्वरूप प्राप्त अनुभवों के आधार पर नवीन संशोधन करना भी जारी रखा। निदेशालय ने उन राज्यों के प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जहां राज्य संसाधन केन्द्र नहीं थे। यहां जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारियों से यह अपेक्षा की गई कि वे परियोजना अधिकारियों, सहायक परियोजना अधिकारियों, निरिक्षकों तथा स्वयंसेवी संस्थाओं से आगत संदर्भ व्यक्तियों की मदद से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का महत्ती दायित्व निर्वहन करें।

स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों विशेषरूप से प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी स्वयं उन संस्थाओं पर ही रही। उनको यह स्वतंत्रता थी कि वे प्रशिक्षण हेतु विविध क्षेत्रों से आगत जानकार व्यक्तियों की मदद ले सकें। बावजूद इसके उनके परियोजना अधिकारियों तथा निरिक्षकों के प्रशिक्षण का दायित्व राज्य संसाधन केन्द्रों पर ही रहा।

यह ध्यान देने योग्य है कि समय–समय पर हुए शोध अध्ययनों ने प्रशिक्षकों को प्रदत्त प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह् खड़े किए। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा राज्य संसाधन केन्द्रों के अधिकारियों ने भी यह खुलासा किया कि प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण प्रभावी ढंग से नहीं हो रहा है। यह अमूमन पाया गया कि प्रशिक्षकों का अकादमिक अनुभव पर्याप्त नहीं था। तात्पर्य यह है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रशिक्षकों की मौखिक, लिखित, सामान्य जानकारी तथा प्रौढ़ शिक्षार्थियों को साक्षर बनाने की तकनीक एवं पहल संबंधित योग्यता को बढ़ाई जानी थी। इन तथ्यों को देखते हुए प्रशिक्षकों को बेहतर प्रशिक्षण मुहैया कराने हेतु जिला स्तर पर जिला संसाधन इकाई (District Resource Unit, DRU) का गठन किया गया। इन इकाईयों से यह अपेक्षा थी कि वे जिले के अंतर्गत उन संस्थानों को चिन्हित करें जहां बेहतर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता हो। जिला संसाधन इकाईयों

से यह भी अपेक्षा थी कि वे स्वयंसेवी संस्थाओं, विकास विभागों, शैक्षिक संस्थाओं, प्रगतिशील किसानों, कारीगरों आदि में से ऐसे योग्य संदर्भ व्यक्तियों का चयन करें जो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के गुणवत्ता को और समृद्ध बना सकते हों। इन इकाईयों से यह अपेक्षा भी थी कि वे जिला स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को अपना कार्य प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु प्रेरित करें।

संदर्भ

1. मिशेल, गैरी – द ट्रेनर्स हैंडबुक : द ए.एम.ए गाइड टू इफैक्टिव ट्रेनिंग, न्यूयार्क, ए.एम.ए.सी.ओ.एम, 1998।
2. सोसाएटी फार पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया – ट्रेनिंग फार ट्रेनर्स : ए मैनुअल फार पार्टीसिपेटरी ट्रेनिंग मैथोडोलाजी इन डेवलपमेंट, नई दिल्ली, सोसाएटी फार पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, 1987।
3. सिंह, मदन – न्यू कम्पेनियन टू एडल्ट ऐजुकेटर्स, नई दिल्ली, इंटरनेश्नल इंस्टीट्यूट ऑफ एडल्ट एण्ड लाइफलांग एजुकेशन, 2007।
4. नंदा, वी.के – एजुकेशनल टेकनोलोजी फार एडल्टस्, नई दिल्ली, अनमोल, 1998।
5. अन्सारी, एन.ए – एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया, नई दिल्ली, एस. चंद, 1984।
6. शाह, एस.वाई – एन एनसाइक्लोपीडिया आफ एडल्ट ऐजुकेशन, नई दिल्ली, नेश्नल लिटरेसी मिशन, 1999।
7. पेपर टाइटल्ड "ट्रेनिंग सिस्टम फार एडल्ट ऐजुकेशन फंक्शनरीज्" इन इंडिया, डी.वी शर्मा।

महिलाओं में घरेलू हिंसा अधिनियम की जागरूकता का अध्ययन

– राजेश कुमार एवं भारती कुरील

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 का पारित किया जाना भारत में महिला सम्बन्धी अधिकारों को स्थापित किये जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। यह अधिनियम 13 सितम्बर, 2005 को अस्तित्व में आया तथा 26 अक्टूबर, 2006 को लागू हुआ। अधिनियम का उद्देश्य भारतीय संविधान द्वारा महिलाओं के लिए प्रदत्त अधिकारों को और प्रभावी संरक्षण प्रदान करना था। स्वाभाविक है कि यह अधिनियम परिवार में घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। यहां ध्यान देने योग्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल विवाहित महिलाओं में 70 महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार हैं। महिलाओं के विरूद्ध होने वाली घरेलू हिंसा को रोकने के उद्देश्य से लाए गये इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जिसमें महिलाएं बिना किसी भय अथवा असुरक्षा की भावना के रह सकें। अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू है।

महिलाओं के प्रति बढ़ती घरेलू हिंसा कोई आज के युग की घटना नहीं है। इसके अनेक उदाहरण प्राचीन भारत में भी देखने को मिलते हैं। प्राचीनकाल से ही महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा व अपराध पूरे शानों–शौकत के साथ होते आये हैं। रामायण काल में रावण ने सीता का हरण किया था तथा उस काल में भी सीता जैसी पतिव्रता स्त्री को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रोपदी को जुए में दॉव पर लगा दिया था तथा दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीरहरण करके अपमानित किया था। सती प्रथा के नाम पर महिलाओं को जिन्दा चिता पर जलने के लिए मजबूर किया जाता था। उनकी चीखों से किसी का हृदय न पिघले इसके लिये जोरों से ढोल–नगाड़े इत्यादि बजाये जाते थे जिनमें उनकी चीखों की आवाज दब जाती थी। देवदासी प्रथा व नियोग प्रथा के नाम पर किशोरियों का बलात्कार होता था। बाल विवाह और कन्या शिशु हत्या भी होते थे तथा विधवाओं को अनेक अधिकारों से वंचित भी किया जाता था। वे सभी घोर अमानुषिक यातनाओं का शिकार भी होती थीं।

घरेलू हिंसा अधिनियम मात्र 4 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया। अधिनियम के लागू होने के कुछ दिनों बाद ही तमिलनाडु पुलिस ने तिरूनेलवेली जिले के मेला पालायम नामक स्थान पर पत्नी को प्रताड़ित किये जाने की शिकायत पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस अधिनियम के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी अपरिपक्व और समयपूर्व मूल्यांकन करना होगा। लेकिन सामाजिक समस्याओं से निपटने की अन्य विधिक प्रावधानों की असफलता को देखते हुए इस बात का डर बना हुआ है कि यह अधिनियम भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा को किस सीमा तक रोक

पायेगा। विधिक प्रावधानों के होने के बावजूद ऐसा देखा जा रहा है कि समाज में इन प्रावधानों के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु सरकारों द्वारा पर्याप्त प्रयास नहीं किये जा रहे हैं। जिसके कारण लोगों में इस विधि के प्रति जागरूकता का अभाव महसूस किया जा रहा है। भारत में व्यावहारिक रूप से भी यह कठिन प्रतीत होता है कि कोई महिला अपने पति अथवा सम्बन्धियों के विरूद्ध आवाज उठाये। भय इस बात का है कि कहीं यह विधि भी दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1961 की तरह असफल न साबित हो जाए। इस अधिनियम के दुरूपयोग की सम्भावनाएं भी हैं। इस विधि को सफल बनाने में साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रम प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन यह तो समय के साथ ही सुनिश्चित हो सकेगा कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं के हितों के संरक्षण में किस सीमा तक सफल हो पाता है।

घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लागू हुये चार वर्ष पूरे हो गये हैं परन्तु आज भी यह वहीं का वहीं है। इसके बारे में न तो औरतों को जानकारी है और न ही बालिकाओं और पुरूषों को।

घरेलू हिंसा के कारण महिलायें अपने नागरिक अधिकारों व मानव बनने के हक से भी वंचित रह जाती हैं। घरेलू हिसांए घर में हेाती हैं और घर में होने के कारण इसे व्यक्तिगत मामला मानकर अमूमन ना ही पुलिस कोई कार्यवाही या हस्तक्षेप करती है, न ही प्रशासन और न ही हमारे समाज के लोग। घर में गैर बराबरी का एक संकेत है यह हिंसा। इस हिंसा से औरत की पहचान, प्रतिष्ठा, स्वतंन्त्रता व क्षमता सब पर असर पड़ता है। घरेलू हिसां की शिकार महिलायें अपनी पीड़ा किसी को नहीं बताती हैं और यदि वे बता भी दें तो उसका नतीजा सकारात्मक नहीं होता। इसलिए वे जहर का घूँट पीकर घर में जिन्दा लाश की तरह बनी रहती हैं। समय–समय पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई अधिनियम तथा योजनायें बनायी जाती रही हैं जैसे –दहेज प्रतिशेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1976 आदि। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भी उन्हीं में से एक है। परन्तु अभी भी इसके बारे में महिला वर्ग को पूर्णतया जानकारी नहीं है और न ही वे इसके प्रति जागरूक हैं। इसी परिकल्पना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की इस समस्या का चुनाव कर प्रस्तुत अध्ययन को सम्पन्न किया गया है।

विधितन्त्र

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रति महिलाओं में जागरूकता का अध्ययन करना है।

अध्ययन के अन्य विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

(1) उत्तरदाताओं का पार्श्वचित्र तैयार करना।

(2) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रति किशोरियों की जागरूकता को जानना।
(3) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव देना।

उपकल्पना

अध्ययन की उपकल्पनायें निम्नवत् हैं :
(1) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रति परिवारों में जागरूकता का अभाव है।
(2) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उचित ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है।
(3) घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को सरकार द्वारा ठीक प्रकार से प्रभावी नहीं किया जा सका है।

अध्ययन की प्रकृति एवं विषय–क्षेत्र

प्रस्तुत अध्ययन की प्रकृति विवरणात्मक सह निंदनात्मक है। इसके माध्यम से शोध विषय से सम्बन्धित समस्याओं तथा घटनाओं का वर्णन किया गया है। समस्या से सम्बन्धित प्रत्येक रूप को विस्तृत रूप से बताया गया है एवं निंदनात्मक प्रारूप के माध्यम से शोध विषय की समस्याओं का निदान करने हेतु सुझाव दिये गये हैं। अतः शोधकर्ता ने अपने शोध अध्ययन में विवरणात्मक सह निंदनात्मक दृष्टि का प्रयोग किया है। विषय क्षेत्र की दृष्टि से प्रस्तावित शोध उ0प्र0 के लखनऊ जनपद के महाकवि जयशंकर प्रसाद वार्ड की पुरनियां बस्ती में सौ परिवारों पर किया गया है जिसका चयन सुविधाजनक प्रतिदर्श के आधार पर किया गया है।

अनुसंधान प्ररचना

प्रस्तुत अध्ययन में विषय की गम्भीरता को दृष्टिगत करते हुये प्रयोगात्मक शोध प्ररचना को अपनाया गया है तथा इसके अन्तर्गत पूर्व–पश्चात् परीक्षण का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों के स्रोत

प्रस्तुत अध्ययन में आँकड़ों के दोनों स्रोतों का प्रयोग किया गया है। क्षेत्रीय स्रोत के रूप में उत्तरदाताओं से सीधी सूचना प्राप्त की गई है तथा प्रलेखीय स्रोत के रूप में घरेलू महिलाओं से सम्बन्धित सर्वेक्षण, अभिलेख, पुस्तकों से (किये गये अध्ययनों से) लेखन सामग्री प्राप्त की गई है।

आँकड़ों के संग्रह की विधि

प्रस्तुत अध्ययन में अवलोकन एवं साक्षात्कार पद्धतियों को अपनाया गया है।

अध्ययन के यंत्र

तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया। इसके द्वारा ठोस एवं यथार्थ सूचनाओं की प्राप्ति सम्भव होती है।

अनुसूची परीक्षण

अनुसूची निर्माण के पश्चात् इसकी सार्थकता एवं उपयुक्तता की जाँच कर इसका परीक्षण किया गया है जिससे अनुसूची की कठिनाईयों, कमियों, सार्थकता तथा उपयुक्तता की जाँच साक्षात्कार से पूर्व हो सके।

प्रतिदर्श का चयन

प्रस्तुत अध्ययन में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के बारे में जानकारी को जानने हेतु 100 उत्तरदाताओं का चयन उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्श के आधार पर किया गया है।

संग्रहीत तथ्यों का वर्गीकरण एवं सारिणीयन

चूंकी संकलित तथ्य बिखरे हुए तथा अव्यवस्थित रूप से प्राप्त होते हैं इसलिए अनुसंधान कार्य को पूर्ण करने के उद्देश्य से संकलित तथ्यों का वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। वर्गीकरण प्रक्रिया में समान लक्ष्यों वाले तथ्यों को एक समूह में रखा गया तथा उन्हें व्यवस्थित ढंग से वर्गीकृत करते हुए संकलित सामग्री को सुव्यवस्थित किया गया है। आँकड़ों का वर्गीकरण करने के उपरान्त उनका सारिणीयन किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्गीकृत आँकड़ों को समूहों में विभक्त किया जाता है।

प्रस्तुत अध्ययन में संकलित आँकड़ों का वर्गीकरण करके उन्हें सारिणियों में सूचीबद्ध एवं श्रेणीबद्ध किया गया है। एकचरीय तथा बहुचरीय दोनों प्रकार की सारिणियों को बनाया गया है ताकि आँकड़ों के विवरण के साथ–साथ इनका तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया जा सके।

प्रमुख निष्कर्ष

सारिणी सं0.1

उत्तरदाताओं की आयु

आयु (वर्षो में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत%
14–15 वर्ष	24	24
15–16 वर्ष	18	18

16–17 वर्ष	17	17
17–18 वर्ष	41	24
कुल योग	100	100

सर्वाधिक संख्या अर्थात 41 प्रतिशत 17–18 वर्ष आयु वर्ग वाले उत्तरदाताओं की थी तथा सर्वाधिक कम उत्तरदाता 16–17 वर्ष आयु वर्ग के थे जिनका प्रतिशत 17 था।

सारिणी सं0.02

उत्तरदाताओं के शैक्षिक स्तर

शैक्षिक स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
अशिक्षित	05	5
प्राइमरी	03	3
जूनियर हाईस्कूल	15	15
हाईस्कूल	35	35
इण्टर	29	29
स्नातक	13	13
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 35 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल, 29 प्रतिशत उत्तरदाता इण्टर, 15 प्रतिशत उत्तरदाता स्नातक, 5 प्रतिशत उत्तरदाता अशिक्षित तथा शेष 3 प्रतिशत उत्तरदाता प्राइमरी की थीं। अतः सर्वाधिक 35 प्रतिशत उत्तरदाता हाईस्कूल की तथा सर्वाधिक कम 3 प्रतिशत उत्तरदाता प्राइमरी तक की शिक्षा ही ग्रहण की हुए थीं।

सारिणी सं0.03

उत्तरदाताओं के व्यवसाय

व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
गृहणी	01	01
विद्यार्थी	88	88
अन्य	11	11
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 88 प्रतिशत उत्तरदाता विद्यार्थी, 11 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य तथा सबसे कम 1 प्रतिशत उत्तरदाता गृहणी हैं।

सारिणी सं0.04

उत्तरदाताओं का वैवाहिक स्तर

लिंग भेद	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
विवाहित	01	01
अविवाहित	99	99
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 99 प्रतिशत उत्तरदाता अविवाहित तथा सबसे कम 1 प्रतिशत उत्तरदाता विवाहित हैं।

सारिणी सं0 .05

उत्तरदाताओं की मासिक आय

मासिक आय (रूपयों में)	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
आश्रित	89	89
0–500	02	02
1000–15000	08	8
2000–2500	01	1
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 89 प्रतिशत उत्तरदाता पराश्रित, 8 प्रतिशत उत्तरदाताओं की मासिक आय 1000–15000 रूपये, 2 प्रतिशत उत्तरदाता 0–500रूपये, तथा सबसे कम 1 प्रतिशत उत्तरदाता 2000–2500 रूपये मासिक आये वाले हैं।

सारिणी सं0.06

उत्तरदाताओं की जाति तथा धर्म

धर्म एवं जाति	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
हिन्दू		
उच्च जाति	32	32
पिछड़ी जाति	17	17

अनुसूचित जाति	42	42
अनुसूचित जनजाति		
उप–योग	91	91
मुस्लिम	09	09
कुल योग	100	100

सर्वाधिक उत्तरदाता हिन्दू धर्म के हैं जिनमें 32 प्रतिशत उत्तरदाता उच्च जाति के, 17 प्रतिशत उत्तरदाता पिछड़ी जाति के, 42 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति के हैं। मुस्लिम धर्म के उत्तरदाताओं का प्रतिशत 9 है।

सारिणी सं0.07

घरेलू हिंसा के स्वरूप

स्वरूप	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
घर के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली हिंसा	23	23
लैंगिक हिंसा	05	05
मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा	12	12
आर्थिक हिंसा	08	08
उपर्युक्त सभी	27	27
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 27 प्रतिशत उत्तरदाता घर के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली हिंसा में लैंगिक हिंसा, मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा सभी का समावेश मानते हैं। उत्तरदाताओं में 23 प्रतिशत घर के सदस्यों के द्वारा की जाने वाली हिंसा, 12 प्रतिशत मौखिक एवं भावनात्मक हिंसा, 8 प्रतिशत आर्थिक हिंसा तथा सबसे कम 5 प्रतिशत लैंगिक हिंसा से ग्रस्त हैं।

सारिणी सं0.08

अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी

सुविधायें (कानूनी सहायता, मेडिकल	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
सहायता, आवास सहायता आदि)		
पूर्ण रूप से	02	02

अपूर्ण रूप से	20	20
बिल्कुल भी कारगर नहीं	44	44
या प्राप्त नहीं होता		
मालूम नहीं	34	34
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अधिनियम के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थी, 34 प्रतिशत को मालूम नहीं था, 20 प्रतिशत अपूर्ण रूप से जानकार थे तथा सबसे कम 2 प्रतिशत पूर्ण रूप से जानकार उत्तरदाता हैं।

सारिणी सं0 .09

उत्तरदाताओं के घर के आस–पास लोगों को अधिनियम की जानकारी

पड़ोसियों को जानकारी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
हॉ	04	04
नहीं	96	96
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 96 प्रतिशत उत्तरदाताओं के घर के आस–पास के लोगों को अधिनियम की जानकारी नहीं थी तथा सबसे कम 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं को जानकारी थी।

सारिणी सं0 .10

अधिनियम की शिथिलता के कारण

कारण	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत %
प्रशासन की ढील	14	14
पीड़िता की ढील	08	08
समाज की ढील	15	15
उपर्युक्त सभी	63	63
कुल योग	100	100

सर्वाधिक 63 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उपर्युक्त सभी कारणों से अधिनियम में शिथिलता दीखती है। 15 प्रतिशत उत्तरदाता समाज की ढील, 14 प्रतिशत प्रशासन की ढील तथा सबसे कम 8 प्रतिशत पीड़िता की ढील को इसका कारण मानते हैं।

प्रमुख सुझाव

1. घरेलू हिंसा के मामले में संगठनों व संस्थाओं का हस्तक्षेप सकारात्मक रूप से होना चाहिए।
2. स्कूल एवं कालेज के स्तर पर लड़कियों से इस संबंध में खुलकर बात करनी चाहिए ताकि वे किसी भी प्रकार की हिंसा का शिकार न हों।
3. घर में या बाहर हो रही हिंसाओं के प्रति मजबूत कानून का दबाव होना चाहिए और इसे चर्चा में लाया जाना चाहिए।
4. स्कूल/कालेज स्तर पर परामर्श प्रकोष्ठों का गठन किया जाना चाहिए।
5. लड़कियों को हर हालत में स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाने का प्रशिक्षण सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
6. घरेलू हिंसा से निपटने हेतु विशेष रूप से महिला न्यायालयों की स्थापना की जानी चाहिये।

संदर्भित ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता प्रो.एम.एल., शर्मा प्रो. डी.डी, भारतीय सामज मुद्दे एवं समस्यायें, साहित्य पब्लिकेशनन्स,2004
2. बाबेल डॉ. बसंती लाल, महिला एवं बाल कानून, सेन्ट्रल लॉ. एजेन्सी, 2003
3. इन्द्र ए.एम., प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति, मोती लाल पब्लिशर्स,1995
4. शर्मा प्रज्ञा, महिलाओं के प्रति अपराध, पब्लिशर्स हाउस, 1996
5. खण्डेला मान चन्द्र, आधुनिक और महिला उत्पीड़न, 2006
6. श्रीवास्तव सुधारानी, अरूणा रानी, महिला शोषण और मानवाधिकार, अर्जुन पब्लिशर्स हाउस,2004

❍❍❍❍❍

पर्यावरणीय समस्याओं का समाधानः संसाधनों का कुशल प्रबंधन

– अरूण प्रकाश पाण्डेय

किसी समय सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत और आज के भारत, दोनों की स्थितियों पर दृष्टिपात करें तो बड़ा असहज–सा महसूस होता है। आजादी का सूर्य जब उदित हुआ तो इसे असाक्षरता के बादलों ने घेरा हुआ था। यह असाक्षर आबादी बड़ी तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ाने का कार्य कर रही थी। यह कहना बिल्कुल समीचीन है कि हमारी बहुत सी समस्याओं की जड़ जनसंख्या है पर यह कहना भी उतना ही प्रासंगिक है कि अनेक समस्याओं का समाधान भी जनसंख्या ही है। हमारी आबादी का क्रमिक विकास निम्न तालिका से स्पष्ट है :

जनगणना वर्ष	जनसंख्या	प्रतिशत वृद्धि
1901	23,83,96,327	–
1911	25,20,93,300	5.75
1921	25,13,21,213	–0.31
1931	27,89,77,238	11.00
1941	31,86,60,580	14.22
1951	36,10,88,090	13.31
1961	43,92,34,771	21.64
1971	54,81,59,652	24.80
1981	68,33,29,097	24.66
1991	84,63,87,888	23.86
2001	1,027,015,247	21.34

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि सृष्टि के आविर्भाव से 1961 तक हमारी आबादी लगभग 44 करोड़ रही। लेकिन 1961 से 2001 तक के 40 वर्षों में यह बढ़कर 100 करोड़ से भी ज्यादा हो गई। यहॉ यह तथ्य ध्यान में रखा जाना प्रासंगिक है कि जमीन के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि नहीं होती है अर्थात् जितनी जमीन हमारे पास 1961 में थी 2001 में भी उतनी ही है। यहीं से सारी समस्याओं की शुरूआत होती है।

वस्तुतः समस्या चाहे पर्यावरणीय असंतुलन की हो, इससे जुड़ी अवर्षा की हो, Global warming अथवा प्रव्रजन की हो कहीं न कहीं हम अपने जन का कुशल प्रबन्धन कर पाने में असफल रहे हैं और समस्याओं से घिरते चले गए हैं। हमारी सदानीरा नदियों के साथ हमारा भी पानी उतर गया है। रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैंः

"अचल होई अहिवात तुम्हारा। जब लगि गंग जमुन जल धारा"

इन सभी के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं :

भारतीय परम्पराओं का ह्रास :

हमारे सभी धर्म ग्रन्थों, ऋषियों, महापुरूषों, संतों एवं मनीषियों ने पर्यावरण की रक्षा, जन संरक्षण आदि कार्यों को धर्म से जोड़ कर लोगों को तद्नुरूप आचरण करने का सुझाव दिया है। वृक्षों की पूजा, नदियों की पूजा न केवल धार्मिक रीति से जुड़ी थी वरन् यह उन के संरक्षण की तात्कालीन व्यवस्था थी। हमारे पर्व यथा हरियाली अमावस्या, वट सावित्री व्रत, ऑवला नवमी, गोवर्धन पूजा आदि सभी हमारे पर्यावरण एवं पशुधन की सुरक्षा से सीधे–सीधे जुड़े हुए हैं। वर्तमान् शिक्षा एवं शिक्षित समुदाय ने इस सारी बुनियादी व्यवस्था को रूढ़ियों एवं ढकोसलों की श्रेणी में डाल रखा है जिससे हमारे समक्ष भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। तालाब अब जन का नहीं जनजातांत्रिक सरकार का दायित्व हो गया है।

परिणाम – नदियाँ सूख गई हैं।
मैदान वृक्ष विहीन हो गये हैं।
रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है।
अवर्षा या अल्पवर्षा स्थाई हो गई है।

विलासिता में वृद्धि :

वर्तमान समय में व्यक्ति स्वकेन्द्रित हो गया है। एकल परिवार प्रणाली ने उसे समाज केन्द्रित नहीं होने दिया है। लोगों में दिखावा बढ़ा है। इस दिखावे ने अनावश्यक रूप से मोबाइल फोन, फ्रिज, एअर कंडीशन का चलन बढ़ाया है। आज बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जहॉ आपको मटके अथवा सुराही का शीतल जल प्राप्त हो सके। सुराहियॉ बाजारों से गायब हैं और जहाँ उपलब्ध हैं वहाँ खरीददार गायब हैं। इसके स्थान पर प्रचलित प्लास्टिक ने प्रदूषण में वृद्धि की है।

परिणाम – ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी।
ग्राम से नगर में पलायन में वृद्धि।
C.F.C. के बढ़ने से व्वदम परत में छिद्र हो गया है।
Global Warming होने से कई देशों एवं नगरों में जल प्लावन का खतरा बढ़ गया है।

विज्ञान का दोहन :

यह सुविदित है कि आबादी की वृद्धि के साथ भूमि में कोई वृद्धि नहीं होती है। कम अथवा सीमित जमीन पर अधिक पैदावार प्राप्त करना हमारी अनिवार्यता है। इसके लिए हमें जिन कृत्रिम साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है वे उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं। चूँकि पशुधन के रूप में गौवंश अत्यल्प हो गया है इसलिए हमें प्राकृतिक उर्वरक एवं कीटनाशक उपलब्ध नहीं हैं। इन्जेक्शन लगाकर फलों, सब्जियों का आकार बढ़ाया जा रहा है। इन्हीं इन्जेक्शनों के जरिए अधिकतम दूध प्राप्त किया जा रहा है। कृषि में मशीनों पर बढ़ी निर्भरता ने मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। यद्यपि उपज बढ़ने से हम आत्मनिर्भर हुए हैं, आय बढ़ी है किन्तु इसी परिप्रेक्ष्य में व्यय भी बढ़ा है। पर इसमें पर्याप्त संशय है कि यह व्यय स्वास्थ्य सुधार हेतु हो रहा है।

परिणाम – उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से भूमि की उपजाऊ क्षमता समाप्त होने का खतरा
मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता से डीजल एवं विद्युत की खपत में बेहताशा वृद्धि
कृत्रिम संसाधनों के प्रयोग से मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव
श्रम का मान घटने से बेरोजगारी एवं पलायन में वृद्धि
डीजल एवं उर्वरकों की खपत में वृद्धि से इनके मूल्य में–वृद्धि–हुई–है।
इन मदों पर वार्षिक राष्ट्रीय बजट का–बड़ा–भाग–व्यय–होता–है।

यहाँ प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉ. महालनवीस का जिक्र करना प्रासंगिक प्रतीत होता है। महालनवीस द्वारा प्रस्तुत डवकमस के वर्गीकरण (C1- Capital Good Sector या भार उद्योग, C2-Machine या मध्यम उद्योग, C3-Service Sector यथा विद्युत प्रदाय, जल प्रदाय, बस सेवा, रेल आदि, C4-Consumer Good Sector यथा Hotel, मिठाइयाँ, कुटीर उद्योग आदि) के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण करते समय Service Sector एवं कुटीर उद्योग के क्षेत्र को आरक्षित रखा गया था जिसे बाद में दबावों के चलते सब के लिए खोल दिया गया। इसके चलते हमारे स्थानीय रोजगार का ढाँचा पूरी तरह बिखर गया। नमक का निर्माण अब नोनियों के स्थान पर टाटा कर रहे हैं। तेली की घानी बन्द है और, बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ Triple Refined Oil का उत्पादन कर रही हैं। सेवा के क्षेत्रों यथा बैंकिंग एवं बीमा में विभिन्न विदेशी कम्पनियाँ लगातार निवेश कर रही हैं। होजियरी एवं अन्य उद्योगों में भी यही हाल है। वस्तुतः भारी उद्योग में अधिक लागत की तुलना में लाभ कम है किन्तु इससे जुड़ा रोजगार, राजस्व, अन्य उद्योगों की स्थापना आदि मिल कर इसे हमारा हितैषी बनाते हैं। खिलौनों के बाजार में अन्य राष्ट्रों के उत्पाद हमारे उत्पादों पर भारी पड़ रहे हैं।

सेवा एवं कुटीर उद्योगों में इनके अनारक्षित होने से इसमें निहित भारी मुनाफे को देखते हुए निवेशकों की संख्या बढ़ी है। ऐसा इसलिए कि इस क्षेत्र में मुनाफे का हाल ''हींग लगे न फिटकरी

और रंग आये चोखा'' जैसा है। इन सब कारणों से गॉवों, कस्बों में रोजगार घट रहा है। कृषि तथा अन्य संबंद्ध कार्य करने वाले लोग उपलब्ध नहीं हैं और शहरों में भीड़ बढ़ रही है, बेरोजगारों की कतार बढ़ रही है।

विभिन्न कार्यों हेतु दी जाने वाली निर्माण एवं अन्य अनुमतियों यथा–भवन निर्माण, सड़क एवं कारखाना निर्माण के अनुमतियों में वृक्ष लगाने अथवा पर्यावरण की संरक्षण के शर्तों का स्पष्ट उल्लेख होता है। इन शर्तों के पालन करने मात्र से हम पर्यावरण के एक बड़े भाग को संरक्षित कर पायेंगे। जरूरत है दृढ़ इच्छा शक्ति की, जिसके अभाव में जंगल कट रहे हैं और सीमेन्ट कांक्रीट के जंगल नित्य उगाये जा रहे हैं।

गाँधी जिस रामराज्य का सपना देखते थे उस के बारे में गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा है –

''नहिं दरिद्र कोऊ दुःखी न दीना।
नहिं कोऊ अबुध न लक्षण हीना''
''सब नर करहिं परस्पर प्रीती ।
चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीती''

यदि हम गाँधी की विचारधारा को ध्यान में रखते तो आज की स्थितियॉ भिन्न होतीं। गौवंश के संवर्द्धन से हमें कृषि उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती। हमने बहुत विकास किया और कर रहे हैं किन्तु आज तक बैलगाड़ी का एक अच्छा मॉडल नहीं बना पाये। यदि ऐसा हो जाता तो हमारा डीजल पर बढ़ा व्यय हमारे काबू में होता। मशीनों का कम प्रयोग होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन उपलब्ध होते जिससे ग्राम से नगर की और पलायन रूकता। नगरों में भीड़ कम होती, आबादी का दबाव नहीं होता। वृक्ष काटकर कॉलोनियॉ नहीं बनानी पड़ती और न ही कृषि योग्य भूमि का विकास करने के लिए वन काटने पड़ते।

सुझाव :

समस्या हमारी है और हमारे द्वारा ही उत्पन्न की गई है। अतः इसका समाधान भी हमें ही करना होगा। समस्या के समाधान हेतु निम्नांकित सुझाव प्रासंगिक हैं :

1. कृषि में Cash Crop यथा आयुर्वेदिक औषधीय पौधों का उत्पादन बढ़ाने के उपाय किये जायें। इन फसलों हेतु उर्वरक एवं उर्वरा भूमि की आवश्यकता नहीं होती।
2. कृषि उत्पादों के व्यापार का केन्द्र बड़े गॉव अथवा कस्बों को बनाया जाय।
3. जिला उद्योग केन्द्रों पर कृषि आधारित उद्योगों के बारे में जानकारी प्रदान करने हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध हों।
4. हॉर्टी–कल्चर के अन्तर्गत फलों के उद्यानों का विकास किया जाए। ये वृक्ष खेत की मेड़ पर भी लगाये जा सकते हैं।
5. स्थानीय स्तर पर रोजगार का विकास किया जाये।

6. बंजर, ऊसर एवं अनुपयोगी भूमि का विकास एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
7. बंजर अथवा अनुपयोगी भूमि पर फलदार वृक्ष लगाकर हम भूमि में सुधार करने के साथ–2 आय भी प्राप्त कर सकेंगे।
8. प्रस्तावित प्रावधानों एवं कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।
9. लोरीकल्चर के अन्तर्गत पुष्प के उत्पादन एवं इससे जुड़े रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाय।
10. कृषि से जुड़े कार्यों/उद्योगों से अर्थोपार्जन के तरीकों पर नियमित संगोष्ठियाँ एवं कार्यशालाएँ आयोजित की जायें। इसमें मार्गदर्शन देने हेतु विशेषज्ञ भी हों।
11. यदि सम्भव हो तो ग्रामीण उत्पादों, यथा दूध–घी, मावा आदि का कारोबार स्थानीय स्तर पर अथवा सहकारी संस्थाओं द्वारा करने को प्रोत्साहन दिया जाय।
12. हमारी समृद्ध विरासत की परम्पराओं में छिपे स्वस्थ सन्देशों को जन–जन तक पहुँचाया जाय।
13. गौवंश के संवर्द्धन एवं संरक्षण के प्रयास तेज किये जायें। इससे होने वाले लाभ लोगों तक पहुँचाये जायें।
14. जल समस्या के निवारण हेतु ग्रामों में तालाब एवं नदी–नालों को बॉधने हेतु नरेगा जैसी योजनाओं का सार्थक प्रयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु हमें जन प्रबंधन पर ही ध्यान देना होगा। हमें स्थानीय स्तर पर संसाधन बढ़ाने होंगे, लोगों के उत्पादक कार्यों से जोड़कर पलायन रोकना होगा। जैविक कृषि को बढ़ावा देकर भूमि को विषाक्त एवं बंजर बनने से रोकना होगा। फलों एवं फूलों का महत्व एवं इनसे जुड़े रोजगार की बात लोगों को बतानी होगी। हमें गौवंश को समृद्धकर कृषि में उर्वरकों पर निर्भरता को घटाना होगा। हमें अपनी गौरवशाली परम्पराओं का पालन तर्कों सहित लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उन्हें चली आ रही परम्पराओं के पीछे अन्तर्निहित जीवनोपयोगी मूल्यों को समझाना होगा और इस सारी प्रक्रिया होने वाली प्राप्तियों को भी लोगों के बीच चर्चाओं के माध्यम से स्पष्ट करना होगा।

इन सब कार्यों के लिए हमें पृथक से योजना निर्माण अथवा वित्तीय प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान् में संचालित योजनाओं से ही यह सभी कार्य सम्पन्न किये जा सकेंगे। आवश्यकता केवल व्यवस्थित रूप से प्रबंधन की है।

ooooo

मेरी अपनी कहानी

– रमेश चन्द्र पंत, निशात फारूख

(यह लेख श्री रमेश चन्द्र पंत की जुबानी है जिसे श्रीमती निशात फारूक द्वारा लिपिबद्ध किया गया है।)

मैं हूं रमेश चन्द्र पंत। मेरा जन्म पिथौरागढ़, उत्तराखंड के ग्राम रानीखेत में 6 जनवरी 1960 को हुआ था। यहां मेरा ननिहाल है। यहीं मेरी मां अपने पिता और सौतेली मां के साथ रहती थी। नाना के कोई बेटा नहीं था इसलिए मेरे पैदा होने पर वे बहुत खुश हुए। मैं सभी का लाडला और दुलारा था।

परन्तु भाग्य में कुछ और ही लिखा था। मैं अभी नन्हा बच्चा ही था कि मेरे पिता, मेरी मां को छोड़कर चले गये। मां रोई, तड़पी और फिर हालात से समझौता कर लिया। हम वहीं नाना के पास रहते रहे और सब कुछ ठीक चलने लगा।

इसी बीच एक और घटना हुई। मेरी सौतेली नानी ने नाना की सारी जायदाद अपनी लड़की के नाम करवा दी। यह दुःख मेरी मां सहन ना कर सकी। एक ओर पति की बेवफाई दूसरी ओर पिता की अवहेलना। निराश होकर 1965 की एक सुबह उसने पहाड़ से कूद कर आत्महत्या कर ली।

उस समय मेरी आयु कुल पांच वर्ष थी। लेकिन इस छोटी सी उम्र में ही मुझे एहसास होने लगा कि दिन अब पहले से नहीं रहे। मेरी मौसी ने जमीन जायदाद बेच दी और माता–पिता को लेकर अपने गांव बेरीनाग चली गई। मुझे भी नाना–नानी के साथ बेरीनाग जाना पड़ा। वहां मेरा नाम एक स्कूल में लिखा दिया गया। मैं स्कूल जाता था परन्तु न तो मेरे पास कापी थी न ही किताब। दूसरी कक्षा पास कर जब मैं तीसरी में गया तो मेरे पास कापी खरीदने के लिए 25 पैसे भी नहीं थे। आखिरकार मैंने एक सेठ की गौशाला साफ करके 50 पैसे कमाए। इससे मैं कापी तो ले आया पर किताब फिर भी न खरीद सका। पैसे के मामले में मेरी मौसी भी कड़की थी। एक दिन मेरी नानी ने कहा, 'बेटा, पढ़ कर क्या करेगा? हम परायों पर आश्रित हैं। कोशिश कर कोई काम धंधा देख ले।'

फिर क्या था। पढ़ाई का मेरा सपना बिखर गया और मैं लोगों की गाय भैंस चराने लगा। इसी बीच मुझे एक चाय कम्पनी में नौकरी मिल गई। उस समय मेरी उम्र लगभग 10 वर्ष थी। वहां मुझे

35 रूपये वेतन मिलता था। परन्तु इन पैसों का सुख मेरे भाग्य में नहीं था। मुझे मात्र 2 रूपये ही मिलते थे। बाकी पैसे मेरे मौसा ले लेते थे।

मेरी मौसी का एक लड़का था। वह मुझे नीचा समझता था। एक दिन हम दोनों की बहस हो गई। बहस के दौरान उसने गुस्से से कहा, 'यह तो मेरा नौकर है।' नौकर शब्द उसने अंग्रेजी भाषा में कहा था – 'Servant'। उसके ये शब्द मुझे तीर की तरह लगे और मैंने तय किया कि एक दिन पढ़ूंगा जरूर।

बेइज्जती का यह धाव इतना गहरा था कि उसी दिन मैंने घर छोड़ दिया और कसम खाई कि इस घर क्या, बेरीनाग में तब तक कदम नहीं रखूंगा जब तक पढ़ लिखकर काबिल न बन जाऊं।

बेरीनाग से पैदल चल कर मैं अपनी दूसरी मौसी के गांव बडयूडा पहुंचा। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरे मौसा दिल्ली चले गए हैं। मैं एक वर्ष तक मौसी के पास ही रहा। वहां काम बहुत करना पड़ता था। परन्तु वहां भरपेट खाना और खूब प्यार मिलता था जिससे मेरी सारी थकान दूर हो जाती थी।

सन् 1973 में मैं मौसा जी के साथ दिल्ली आया। दिल्ली की चमक–दमक देख मुझे लगा मेरे सपने यहीं पूरे हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली में रहना आसान भी न था। मौसा ने एक धनी व्यक्ति के यहां मुझे नौकरी दिलवा दी। मैंने उसके यहां 3 वर्षों तक सेल्समैंन की नौकरी बड़ी ईमानदारी और लगन से की। वहां मैं आराम से रहता था। लेकिन मन में छटपटाहट थी – आखिर पढ़ाई की बात जो अधूरी थी। सन् 1976 में मैंने अपना खुद का काम करना शुरू किया। मैं विम और सर्फ बनाता और बेचता। आमदनी अच्छी हो रही थी लेकिन पढ़ाई का सपना अभी भी अधूरा था। पढ़ाई कैसे करूं यह समझ में नहीं आ रहा था।

इसी दौरान मेरी मुलाकात श्रीलाल जी से हुई। वे प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, भारत सरकार के कार्यालय में ड्राइवर पद पर कार्यरत हैं। उनकी सहायता से मैं निदेशालय में दैनिक भत्ता कर्मचारी नियुक्त हो गया। यह बात है 23 मई 1979 की। इस दिन श्री ए.के.जलालुद्दीन महोदय ने मुझे फ्रास के पद पर नियुक्त किया था। इसके बाद मैंने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। यहां मुझे पढ़ाई–लिखाई करने का वातावरण मिला। सभी ने मेरा हौसला बढ़ाया और मैं धीरे–धीरे एक–एक कदम आगे बढ़ने लगा। खाली समय में मैं निदेशालय में तैयार प्रवेशिकाएं, पुस्तकें और समाचार पत्र पढ़ने लगा। यह बात और है कि खाली समय ही कम मिलता था।

इसी बीच मेरी मौसी के गांव के एक जमींदार परिवार की लड़की से मेरा विवाह हो गया। मेरे

ससुर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन उनके प्यार में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने मुझे माता–पिता जैसा प्यार दिया जिसकी कल्पना मैं बचपन से करता था। मैंने भी अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। मेरे तीन पुत्र हुए। उनको अच्छी शिक्षा देकर मैंने काबिल इंसान बनाया। आज वे तीनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं।

इन जिम्मेदारियों के खत्म होते ही मुझे एहसास हुआ कि गृहस्थी के बीच फंस कर मैं अपने सपने को बिलकुल भूल गया था। मैंने तुरन्त निदेशालय से अनुमति ली और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान का फार्म भर दिया। निदेशालय में सभी ने मुझे साहस दिलाया और सन् 2005 में मैंने किसी तरह आठवीं का इम्तिहान दिया। नतीजा निकला। मैं अच्छे नम्बरों से उत्तीर्ण हुआ था। उस दिन मैं बहुत खुश था। लेकिन यह तो पहली सीढ़ी थी। मुझे बहुत आगे बढ़ना है यह सोच मैंने फिर मेहनत की। दिन रात परिश्रम से पढ़ा और 14 दिसम्बर 2009 को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से दसवीं कक्षा पास कर ली।

अब मुझमें भरपूर साहस और आत्मविश्वास आ गया है। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं। आगे बढ़ना चाहता हूं।

मेरे सपने को पूरा करने में मेरे अधिकारियों, साथियों और परिवार ने भरपूर सहयोग दिया है। मैं उन सबका आभारी हूं। उनका आभार चुकाने का एक ही उपाय है कि मैं भी किसी के सपने को पूरा करने में मदद करूं। इस दिशा में मैं एक 75 प्रतिशत विकलांग लड़की को क्डै (दिल्ली दुग्ध योजना) का बूथ दिलवाने में सफल हुआ हूं। आज वह लड़की आत्मनिर्भर होकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। उसे देख मुझे अच्छा लगता है कि मैं भी किसी के काम आ सका हूं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में कुछ लोगों को साक्षर और शिक्षित करूं ताकि मेरी पढ़ाई लिखाई दूसरों के भी काम आ सके।

ooooo

जनपद बलरामपुर की साक्षरता और थारु युवा

—उषा राय

जनपद बलरामपुर की स्थापना मई, 1985 में हुई। कुल 3457 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह जनपद 270 अक्षांश 31 देशान्तर पर उत्तरी दिशा में तथा 82 अक्षांश 3 देशान्तर पर पूर्वी दिशा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के तीन जनपदों गोण्डा, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती एवं नेपाल देश की सीमाओं से घिरे इस जनपद में तीन तहसील बलरामपुर, तुलसीपुर और उतरौला तथा नौ विकास खण्ड– बलरामपुर, हरैया, सतगरवा, तुलसीपुर, गैसरी, पचपेड़वा, उतरौला, रेहरा, तथा सदर आते हैं। तुलसीपुर और उतरौला नगर पंचायतें हैं। हिमालय की तराई क्षेत्र में बसा हुआ यह जनपद 336917 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत की जनगणना 2001 के आकड़ों के आधार पर यहाँ की कुल जनसंख्या 16,84,567 है, इसमें से ग्रामीण जनसंख्या 15,49,293 तथा शहरी जनसंख्या 1,35,274 है।

सन् 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद बलरामपुर की साक्षरता दर 34.71 प्रतिशत है जिसमें पुरूष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 46.62 तथा 21.58 प्रतिशत है। सबसे कम महिला साक्षरता की सीढ़ी पर नीचे से आने वाला प्रदेश का यह दूसरा जनपद है। तमाम प्रयासों के बावजूद अभी भी बलरामपुर में 2,64,048 असाक्षर महिलाएं हैं, जिनके लिए शीघ्र प्रयास करने की आवश्यकता है। वैसे तो इन असाक्षर गरीब, दलित एवं थारू महिलाओं के पास पढ़ने के समय का अभाव है, क्योंकि ये महिलाएं मजदूरी, पशुपालन आदि में व्यस्त रहती हैं। परन्तु उनसे बातचीत के दौरान महसूस हुआ कि उत्साहित करने पर वे दोपहर के समय का उपयोग अपने साक्षर होने के लिए कर सकती हैं।

यह ठीक है कि प्रदेश सरकार द्वारा शैक्षिक उन्नति के लिए अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं बावजूद इसके साक्षरता के क्षेत्र में विशेष प्रगति नहीं हो पा रही है। मौजूदा इस जनपद में 1049 जूनियर बेसिक स्कूल, 85 सीनियर बेसिक स्कूल, 18 हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं दो महाविद्यालय हैं। वर्ष 2002 में भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के 30 प्रतिशत से कम महिला साक्षरता वाले आठ जनपदों में त्वरित महिला साक्षरता परियोजना का संचालन किया। ये आठ जनपद क्रमशः महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, रामपुर और बदायूँ थे। त्वरित महिला साक्षरता परियोजना का संचालन भारत सरकार की देख–रेख में 98 स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कराया गया था। इस हेतु भारत सरकार ने राज्य संसाधन केन्द्र, उ0प्र0 को प्रदेश की नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया था। कार्यक्रम सम्पन्न होने के उपरान्त नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाईजेशन एवं प्लानिंग कमीशन आफ इण्डिया द्वारा उक्त कार्यक्रम के दौरान साक्षर हुई महिलाओं का मूल्यांकन किया गया था। इस मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर ही महिला साक्षरता में बढ़ोतरी की घोषणा की गई थी।

इस दौर में भी थारू विकास और शिक्षा से वंचित रह गये। थारू इस जनपद में भारत–नेपाल की सीमा पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के दोंनो ओर की समानान्तर तराई पट्टियों में रहने वाले एक अत्यंत

पिछड़े समुदाय के लोग हैं। इनके निवास का विस्तार भारत में चम्पारन से नैनीताल तक थरूहट क्षेत्र में तथा नेपाल में पूर्व में झापा (भेरी अंचल) से लेकर पश्चिम में कैलाली कंचनपुर (महाकाली अंचल) तक है। थारू अर्ध वन्य जाति हैं अर्थात ना ही ये पहाड़ी हैं ना मैदानी और ना ही पूर्ण वनवासी। ये वस्तुतः वन्य क्षेत्र के उस सीमान्त के निवासी हैं जहॉ से आगे मैदानी भाग आरम्भ होता है। इनके गाँव जंगल के सन्निकट ऐसे जल स्त्रोतों के किनारे आबाद हैं जहाँ पूरे साल सुगमता से उन्हें उपयोग के लिए पानी सुलभ होता रहता है।

सन् 1967 में थारु समुदाय के अनुसूचित जनजाति के दर्जे को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। उत्तर प्रदेश में हिमालय की उपत्यका में राजी, भोटिया, जौनसारी, बुक्सा और थारू कुल पांच जनजातियां निवास करती हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या थारूओं की है। थारू पंचायत काफी सशक्त होती है। थारू और गैर थारू के बीच विवाह पर थारू पंचायत ने रोक लगा रखी है। विरादरी पंचायत की महत्वपूर्ण प्रथा प्रायः सभी जनजातियों और पिछड़ी जातियों में पाई जाती है किन्तु थारूओं में इसका स्वरूप अतिविशिष्ट और अत्यंत प्रमुख है। थारूओं के सारे आपसी विवाद विरादरी पंचायत के द्वारा ही निपटाए जाते हैं। वे जातिय विवाद के लिए कभी न्यायालय या पुलिस की शरण में नहीं जाते। पंचायत का निर्णय उनके लिए अन्तिम और अपरिहार्य होता है।

ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद्, समाजसेवी, पूर्व निदेशक, तथा दीन दयाल शोध संस्थान के संस्थापक सदस्य श्री रामशंकर उपाध्याय जनपद गोण्डा के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इसी संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष श्री नानाजी देशमुख पहली बार बलरामपुर आये थे, चूंकि पूर्व में जनपद बलरामपुर भी जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ही था और प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला क्षेत्र था। उन्होंने इसके विकास के लिए विद्यालय निर्माण की योजना बनाई थी। तब हालात अलग थे। थारू समुदाय के लोग उन्हें बाहरी व्यक्ति के रूप में देखते थे और उन्हें 'बाजी आया' 'बाजी आया' कहकर घरों में घुस जाते थे। ये लोग इतने सीधे–साधे और भोले–भाले हैं कि आप इनके घर के अन्दर चले जाइए और ये कुछ नहीं बोलेगें। वस्तुतः उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप पंसद नहीं है। अशिक्षा और अंधविश्वास में जकड़े थारू जाति के लोग दरिद्रता के अभिशाप से ग्रस्त अभाव भरी जिन्दगी को मौज मस्ती के सहारे बड़ी जिन्दादिली से काट लेते हैं। थारूओं में मैत्री सम्बन्ध प्रगाढ़ होता है। वे रक्त सम्बन्धों से अधिक मैत्री सम्बन्धों को महत्व देते हैं। परिणामतः पूर्व में श्री रमाशंकर उपाध्याय के आने पर भी 'बाजी आया' 'बाजी आया' कहकर भाग जाने वाले अब सेवक की तरह उन्हें सम्मान देते हैं। वे एक कहावत कहते है "मीत न छुटाई, चाहे छुटो सगो भाई"।

थारू मुख्यरूप से कृषिजीवी जाति है। इसमें अमीर–गरीब, मजदूर–खेतिहर सभी प्रकार के लोग हैं। वे गाय, भैंस, बकरी, सूअर और मुर्गियों तथा अन्य पशुओं का पालन करते हैं, इसके अतिरिक्त वे धान की अच्छी खेती करते हैं। चित्तौड़ बांध का जल वे खेती में प्रयोग करते हैं । यह बॉध नेपाल से आने वाले पानी को भी रोकता है।

राज्य सरकार द्वारा थारूओं के विकास के लिए दो परियोजनाएं संचालित की जा रहीं है। एक

परियोजना जनपद लखीमपुर खीरी एवं दूसरी जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड पचपेड़वा के ग्राम विशुनपुर विश्राम में संचालित है। ये परियोजनाएं थारूओं के शैक्षिक विकास पर विशेष ध्यान देने में विफल रही हैं। ऐसी स्थिति में दीन दयाल शोध संस्थान ने अपने मुख्यालय में और दूसरा ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजाति के शैक्षिक विकास हेतु आवासीय वनवासी विद्यालय की स्थापना की है। विद्यालय जय हनुमान वनवासी छात्रावास, इमिलिया कोडर में 575 बच्चे विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर रहें है। यहॉ उन्हें आवासीय सुविधा भी उपलब्ध है, जो उनके सम्पूर्ण विकास में सहायक है। इस विद्यालय में ग्राम सिमरहवा, जोगिहवा, मडनी और इमिलिया कोडर आदि अन्य गांवों के बच्चे पढ़ते हैं। छात्रावास में अधिकांश लड़कियाँ इमिलिया कोडर गांव की ही हैं। विद्यालय ने थारूओं के जीवन स्तर को उन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी छात्रावास की एक छात्रा चमेली जो कक्षा पांचवीं में पढ़ती है, से मेरी भेंट हुई। चमेली बहुत ही सुन्दर, स्वस्थ और हंसमुख लड़की है जिसके 4 भाई तथा 2 बहनें है, एक बहन का विवाह हो चुका है। उसके माता–पिता पूर्व में ही गुजर चुके हैं। इन सबके बावजूद वह पढ़ाई कर रही है। यहाँ महिलाएं पुरूषों से अधिक कामकाजी है, यहाँ के पुरूष अधिकांश समय मौजमस्ती, ताश, धूम्रपान एवं मदिरापान करते हुए देखे गए। अतिशय मदिरापान के सम्बन्ध में इस क्षेत्र में कहावते कही जाती है 'पानी पाए मेघा, दारू पाये थारू'। ''थर्रा पिये, जाँड़ पिये और पिये दारू, खाले ऊँचे गिरी–चढ़े, तब कहावे थारू''। जाँड़ थारूओं द्वारा चावल से घर पर तैयार की गई सुगन्धित, मधुर मदिरा है। थारू स्त्री, पुरूष, बड़े–बूढ़े भी चाव से इसे नित्य ही पीते हैं। महुए की दारू हर थारू परिवार में बनाई जाती है। जाँड़ या दारू का प्रयोग थारू लोग देवताओं को चढ़ाने में तथा सभी संस्कारों एवं पर्वों पर करते हैं। थारू महिलाएं बेहद परिश्रमी होती है। जंगल से लकड़ी लाना, दूरदराज जगहों से पानी लाना, चक्की चलाना, धान कूटना, खाना बनाना, पशुओं को खिलाना, साफ–सफाई, फसल निराई, रोपाई, कटाई, मढ़ाई, अनाज रखने का प्रबन्ध, गृहशिल्प सम्बन्धी कार्य, वस्त्रों की सिलाई–बुनाई, बच्चों की देखभाल, मछली पकड़ना, जानवर चराना तथा पुरोहित (पंडिताइन) का कार्य भी थारू महिलाएं अच्छी तरह करती हैं।

यहाँ पर अभी स्वास्थ्य सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में नही पहुँची है, गांवों में आगंनवाड़ी केन्द्र जरूर खुले हैं। कुछ स्वास्थ्य सेवकों के दूरभाष नं0 दीवालों पर लिखे हुए हैं। यहाँ की महिलाएं स्वस्थ हैं परन्तु प्रजनन के समय इन्हें परेशानी अनुभव होती है। यहॉ के लोगों में इस सम्बन्ध में एक किवदंती प्रचलित है ''तुलसी विरवा बाग में सींचे पर कुम्हलाए, राम भरोसे जे रहे पर्वत पर हरियाये''। तात्पर्य यह है कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य हेतु वे भगवान पर ही आश्रित हैं।

बलरामपुर में शिक्षा सुविधाओं के पहुंचने से थारू युवाओं के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आने शुरू हो गये हैं, जो निश्चित रूप से उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में सहायक होगी। थारूओं से हुए मेरे संवाद इंगित करते हैं कि सरकार सहित अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को इनके विकास में अविलम्ब हाथ बढ़ाना चाहिए।

Impact of Infrastructural Facilities in Achieving Education for All: A Study of SSA under Siliguri Educational District

- M.U.Alam

The 86th Constitutional Amendment Act 2002 made education a Fundamental Right for children in the age group of 6 - 14 years. The Bill says, 'the State shall provide free and compulsory education to all children of the age of six to fourteen years in such manner as the State may, by law, determine'.

Tenth Five Year Plan period onwards Government of India merged the Universal Elementary Education Programmes in the country in Sarva Shiksha Abhiyan (SSA), a single Mission Mode programme. This mission, like Total Literacy Campaign Mission is now liable to ensure quantitative and qualitative improvement of Elementary Education in the country. The Sarva Shiksha Abhiyan articulated the following specific goals for realizing the objectives of National Policy on Education and the Fundamental Right for Free and Compulsory Education:

(i) Enroll all 6 - 14 age children in schools/ EGS by 2005.

(ii) Bridge all gender & social category gaps at primary stage by 2007 & upper primary by 2010.

(iii) Universal retention by 2010.

(iv) Elementary Education of satisfactory quality.

The major activities of the Sarva Shiksha Abhiyan can be classified into two types: first, infrastructural development of the educational institutions and second, making all the children belonging to the age group 6 - 14 years educated at universal elementary level. With reference to infrastructural development, the Mission has adopted the following steps:

- Construction of New School Building (NSB)
- Reconstruction of Dilapidated School Building
- Construction of Circle Resource Centre (CLRC)
- Construction of Cluster Resource Centre (CRC)
- Construction of Additional Class Room (ACR)
- Provision of Drinking Water and Toilet Facilities to schools

Following the guidelines of the Sarva Shiksha Abhiyan, Siliguri

Educational District also initiated the process of infrastructural development of schools under its domain. A study was conducted on 60 schools receiving considerable assistance from Sarva Shiksha Mission in order to evaluate the state of infrastructural development. Besides, a sample survey on 25 randomly selected households was also conducted in the nearby areas of the schools to assess the school enrolment status of the children of school going age and the socio-economic backgrounds of their parents. Information were also collected from headmasters, school teachers, VEC members through interview schedules with reference to the infrastructural developments and problems they encountered in this respect. Their suggestions for improving the functioning of Sarva Shiksha Mission were also noted.

Objectives of the Present Study

A. Assessment of the Quality of Civil Works:
The main objective of this study was to assess the quality of construction works in general terms. An evaluation of the quality of Infrastructural Developments as well as electrical works (wherever applicable) post construction stage had been made on the basis of superficial observations/ inspections of the works by the technical personnel.

B. Social Impact :

i) To study the enrolment status of children in the schools.

ii) To find out the causes behind non enrolment of children in schools of the nearby areas.

iii) To find out nature and extent of dropouts/ out of schools from the schools.

iv) To study the socio-economic backgrounds of the children enrolled in schools.

Methodology

In order to achieve the aforesaid objectives a survey was conducted in Sarva Shiksha Mission, Siliguri Educational District area which includes the rural areas of Siliguri Sub-division as well as the entire area under Siliguri Municipal Corporation. Conventional sociological methods, tools and techniques were adopted to conduct the study. This research was exploratory as well as evaluative in character. There were sets of structured schedules. Besides that necessary technical supports were taken for assessing the qualities of Infrastructural Developments. The study was divided into five parts. Part I was the introductory part of the study while the parts II, III & IV were the main parts of the study. The Part V provides the major observations/ findings emerged from the study for future consideration.

I

The Siliguri Educational District

Siliguri Educational District comes under the jurisdiction of Darjeeling district of West Bengal. The administrative set up of the Darjeeling district is quite different from other districts of the state. Three out of the four subdivisions of the district viz. Darjeeling, Kalimpong and Kurseong are hilly regions and togather constitute the Gorkha Hill Council. The remaining subdivision is in the Terai plain which constitutes the Siliguri Mahakuma Parishad having administrative structure similar to other Zilla Parishads of the State.

The Siliguri Educational District comprises of four development Blocks viz. Matigara, Naxalbari, Phansidewa and Kharibari and the Siliguri Municipal Corporation area. Altogether it is divided into seven circles viz. Siliguri West, Siliguri-Naxalbari, Naxalbari, Phansidewa, Kharibari, Batashi, and Bidhannagar. There are 397 Primary and 76 Upper Primary Schools in the region. Among the Upper Primary Schools the number of boys' schools, girls' schools and co-ed schools are respectively 8, 17 and 51. The number of sanctioned teachers post in Primary Schools is 1905 out of which 1303 teachers were recruited within January 2007 and 602 posts of Primary School Teachers were lying vacant during the study period. In the Upper Primary Schools sanctioned teachers post is 1451 of which up to January 2007, 1054 teachers (male 602 and female 452) were recruited. Number of vacant teacher posts in the Upper Primary Schools was 397 during that time.

For the purpose of the present study, 60 schools were randomly selected of which 11 were Upper Primary Schools and 49 were Primary Schools. Three Upper Primary Schools and one Primary School out of these 60 sampled schools failed to provide information regarding the social impact. Hence, the study is based on the information obtained from 56 schools only. Among these 8 Upper Primary School and 48 Primary Schools comes under the ambit of Sarva Shiksha Abhiyan, Siliguri Educational District area.

II

A General Profile of Schools

The study shows that 32 per cent schools were established before 1960 and only 6 per cent schools came up during 1991 - 2000. Actually after the introduction of Sarva Shiksha Abhiyan in Siliguri Educational District area only 7 per cent schools i.e. three Primary Schools and one Upper Primary School were established. In total there are 394 teachers (216 male and 178 female teachers) in the sampled 56 schools of which 317 are Assistant Teachers and 77 are Para Teachers. The percentage of male and female teachers is 55 and 45 respectively. The number of Assistant Teachers in the Primary Schools is 155 of which 97 (62.5%) are male and 58 (37.5%) are female. So there exists a considerable gender gap in the Assistant Teachers. The number of Assistant Teachers recorded in Upper Primary Schools is

160 of which 85 (53%) are male and 75 (47%) are female Assistant Teachers which shows that the gender gap among the Assistant Teacher is relatively low in the case of Upper Primary Schools. Among the 77 Para Teachers, 34 are male and 43 are female teachers. Percentage of male and female para teachers is 9 and 11 respectively. Here the number of female para teachers is more than the male para teachers which indicates significant rise in the participation of females in teaching profession. In the Primary Schools the number of para teachers is 50 in which the number of male and female is 25 each. Para teachers in Secondary Schools are 27 of which male are 9 and female are 18. So the participation of female para teachers is double than that of the male in secondary schools.

Residential background of teachers influences the teaching-learning process of a school to a great extent. The study shows that 36.5 per cent of the teachers have their residence within one km. from the school. Another 16 per cent teachers reside within two km, and 12.2 per cent within five km from the school. It is important to note that a large number of teachers (35.3 per cent) under the Siliguri Educational District area have their residence at a distance beyond five km from their respective schools. In many rural schools the teachers live in urban areas and towns for basic comfort. Where the transport facilities are good the distance may not be a factor but in case of remote areas with poor communication facilities the distance certainly affects the teaching-learning processes in the school.

Altogether there are 20547 students in 56 schools of which 9039 are boys and 11508 are girls which show that the enrolment of girls (56.02%) in the schools is considerably higher than the boys (43.98%). Enrolment of students in Primary and Upper Primary Schools shows that the number of students in those schools are respectively 12018 (4587 boys and 7431 girls) and 8529 (4452 boys and 4077 girls). The percentage of boys and girls in Upper Primary schools are 41.5% and 58.5% respectively. This trend will ultimately lead to reduce gender disparity in school education.

The profile of the students shows that out of the total 20547 students 7047 (34.29%) belong to Scheduled Caste category. Interestingly, the number of scheduled caste girl students is more (18.45%) than scheduled caste boys (15.94%). The number of students from Scheduled Tribe (ST) category is 1834 (8.92 per cent) only. Among the SC students the number of girls is 925 (50.44 per cent) and that of boys is 909 (49.56 per cent). The presences of Other Backward Classes (OBCs) students were considerably low (3.5 per cent). The lower representation of OBCs students in school education may be due to their lesser presence in population of Siliguri Educational District area. The picture of minority students is not all that encouraging. Although a sizeable section of population belongs to minority community in Siliguri Educational District area but their participation in school education is quite less. Only 12.09 per cent of students belong to minority community. The presence of minority girl students is further low. Among the students the percentage of boys and girls is 6.15 and 5.94 respectively. Such a poor state of enrolment needs special attention. The enrolment of students (about 39%)

from general castes (non-scheduled) is highest in all the 56 schools. In this category the participation of girls in school education is higher than the boys. It has been recorded that the girls constitute 24.62 per cent of the total students while the boys only 14.91 per cent. This is an important development that has taken place in educational front during last couple of years.

So far as the infrastructural development is concerned 85.72 per cent of Primary Schools and 14.28 per cent Upper Primary Schools in this area have received financial grants from Sarva Shiksha Abhiyan which shows that major emphasis has been given to the development of Primary Schools. Out of those primary schools who received grants 31.54 per cent utilized the fund for constructing Additional Class Rooms (ACR). About 58 per cent of Upper Primary Schools also utilized this fund mainly for the same purpose. About 43 per cent of Primary Schools utilized the fund as School Grant (SG) / Maintenance Grants (MG)/ and grant for Teaching Learning Materials (TLM). In case of Upper Primary Schools this percentage is 10.31. A total of 7.89 per cent schools invested their funds for providing drinking water and toilet (DWT) facilities. Only eight per cent of Primary Schools carried out the work for providing Drinking Water and Toilet facilities. The percentage for the same in Upper Primary Schools was only three. Less than one per cent of primary schools used this fund in constructing Boundary Walls (BW). No Upper Primary School utilized this fund for such a construction. As the grants are mainly received by the Primary Schools, most of the works are done by them. For the Upper Primary Schools, the picture is slightly different.

The total grant received by the schools was Rs. 30940757 . Out of which 56.14 per cent of the grant was received by the Primary Schools and 43.86 per cent by the Upper Primary Schools. The Primary Schools utilized 98.11 per cent grants while about 2 per cent remained as unspent balance. In the case of Upper Primary Schools 97 per cent of fund has been utilized. It was observed that most of the Primary and Upper Primary Schools utilized the funds received from the Sarva Shiksha Abhiyan, Siliguri Educational District.

Decision making is an important component for any Infrastructural Development. Whether the decision was taken individually or collectively, the information was collected accordingly. In the case of schools located in rural areas, there is Village Education Committee (VEC) whereas for the schools in urban areas there is Ward Education Committee (WEC). The Upper Primary Schools have their own Managing Committee (MC). The survey recorded that other than VEC and WEC, the decision making role of so called Beneficiary Committee (BC) and Construction Committee (CC) are equally important in the matter of Infrastructural Development works. Out of the total Primary and Upper Primary Schools, for 64.28 per cent schools decisions were taken by VEC while for 19.64 per cent schools it was taken by WEC. Only a minimum 1.79 per cent for both cases of schools, the decisions for civil work related activities were taken by BC and CC. In Upper Primary Schools, it is seen that the MCs mainly took the decision for Infrastructural Development works for 87.5 per cent schools. Only in case of 12.5 per cent Upper Primary Schools, the decision for civil works was taken by CC in absence of MC.

In case of decision making body/ authority, it is found that in all the cases, there is a special committee who took the decision for Infrastructural Development works in a particular Primary or Upper Primary School under the Sarva Shiksha Mission, Siliguri Educational District.

The present study also tried to identify the needs which influenced the decision making body/ authority to advocate for particular type of Infrastructural Development works required for the school.

III

Nature and Extent of Civil Works under SSA

The structure of school buildings from technical point of view, types of construction made, drinking water, toilet and other facilities/arrangements available in the schools were also examined during the study. The data collected revealed that 66.67 per cent schools needed boundary walls and 29 schools (48.33 per cent) out of 60 were running classes in spite of shortages of class rooms. Toilet and urinal facilities were absent in 16 (26.67 per cent) schools. Most of the schools lacked safe drinking water facilities. Among the schools surveyed 22.45 per cent Primary Schools (11 out of 49) were having no regular electrification. Only 4.44 per cent of schools demanded for proper drainage system and adequate number of benches and tables for classrooms. With reference to type of construction, it has been observed that maximum emphasis has been given to mason works (construction of brick building) and on roofing with corrugated tin.

On an average, a child spends six hours a day in school. Naturally toilet facilities become essential. Data shows that on an average 170 students use a toilet. This is completely unhealthy. Again every school-going child has the right to get access to safe drinking water in their place of learning. To ensure the supply of safe drinking water, in total eight wells, 54 tube wells, four PHE supplied water taps, and eight SMC supplied piped water points were newly installed in schools. Of the total water sources available, 72.97 per cent were tube wells i.e. majority of the students drink tube well water in their respective schools. In respect to safe drinking water if we consider the water sources available from PHE and SMC, then it covers only 16.22 per cent of the total water sources accessible to the students in the Siliguri Educational District. This demands due attention since rural people (including school children) mostly suffer from water-borne diseases.

IV

Nearby People and their Responses to Elementary Education

A sample survey of 25 randomly selected households from the areas nearby each school was carried out. The aim was to assess the school enrolment status of the children of school going age and the socio-economic backgrounds of their parents.

In this regard a household survey schedule was administrated to elicit data on the socio-economic background of the children of school going age and their enrolment status. A sum total of 1450 households located adjacent to 56 schools were contacted of which 31.31 per cent (454) were from general caste. The number of households belonging to SC, ST and OBC category was 38.55, 12.55 and 3.72 percent respectively. The percentage of households belonging to minority communities was 13.87 only. It shows that the SCs had a relatively better representation among the households surveyed.

The percentage of male and female respondents was 88.07 and 11.93 respectively. Respondents were further divided into four major age groups viz. below 31 years (11.59%), 31 - 40 years (47.93%), 41 - 50 years (27.65%) and above 50 years (12.83%). Educationally the respondents were categorised into four types - illiterate, educated up to Primary level, educated up to Secondary level and Graduates & above. Information on impact of School Civil Works with reference to the goals of Sarva Shiksha Mission was collected from illiterate respondents who constituted 28.69 per cent of the total respondents. Respondents with primary education constituted 33.45 per cent, and 30.76 per cent were educated up to secondary level. Only 7.1 per cent of respondents were with graduate or above level of education. Although majority of the respondent were either illiterate or educated up to primary level only, they wanted better education for their wards which definitely was a good indication towards achieving the goal of Sarva Shiksha Abhiyan in this area.

Broadly the respondents were engaged in eight major occupation viz. Cultivation, Agricultural Labourer, Daily Wage Labourer, Transport Worker, Business, Service, Tea Garden Worker and Other miscellaneous jobs. Major section of the respondents at least 24.56 per cent were businessmen while the lowest on (3.52 per cent) was Transport Workers. Another 21.65 per cent respondents were cultivators. Among the respondents, 5.86 per cent were Agricultural Labourer, 12.69, 7.79 , 9.45 and14.48 per cent were Daily Wage Labourer, Service man , Tea Garden Labourer and others respectively. Based on their monthly family income respondents were grouped into five broad income categories: Below Rs. 1000; Rs. 1001 - 2000; Rs. 2001 - 3000; Rs. 3001 - 4000 and above Rs. 4000. Almost 27.45% respondents had monthly family income between Rs. 2001 to Rs. 3000 only. On the other hand lowest 5.38% respondents had income is below Rs. 1000. The number of respondents in the income category of Rs. 1001 - 2000 was 18.62 %, Rs. 3001 - 4000 was 25.45% and Rs. above 4000 was 23.1%.

There were in total 7123 members in 1450 respondent families, of which 3748 (52.62%) were males and 3375 (47.38%) were females. Average family size in the Siliguri Educational District area was 4.9 and the sex ratio was 900. It is observed that family size as well as sex ratio in this region is very alarming. In respect to family size, large families were more common in rural areas. But, even in Siliguri West Circle which comes under Siliguri Municipal Corporation area the average family size was 4.9. Both the instances demand specific measures for population control and for curbing gender discrimination/ disparity.

There were 1885 school going children of 6 - 14 years age in 1450 respondent families.

Among them 1015 (53.8%) were boys and 870 (46.2%) were girls. At least one school going child was there in each respondent family. It shows that the respondents were eager to educate their children. Except 19 children (boys 9 and 10 girls) who were studying above class VIII rest were studying in different classes between I to VIII i.e. at the elementary level of education.

V

Major Observations/Findings of the Study

The present study shows that 32 per cent schools were established before 1960 and only six per cent during 1991 - 2000. Interestingly only seven per cent schools in this district were established after the introduction of the Sarva Shiksha Abhiyan. So there is a need to establish more new schools at per recommendations of the local level authorities and Institutions. About 55 per cent of the schools are located close to pucca roads and easily accessible. They enjoy better communication and transport facilities. But remaining schools are in the remote region and less accessible. They deserve special attention from the authorities of SSA.

There exists considerable gender gap among the Assistant Teachers in the Primary Schools. Interestingly in case of Para Teachers the females have out numbered the male teachers particularly in urban/ semi-urban area. The students are being taught by qualified teachers at the primary level and also at the Upper Primary level since the majority teachers (67%) are trained and qualified teachers. It has been observed that a large number (35%) of teachers under the Siliguri Educational District area have their residence at a distance beyond 5 km from their school. In the absence of proper communication facilities it affects the teaching-learning process.

The overall enrolment of the girls in the schools is considerably higher than the boys. But in case of primary schools the number of girl students is slightly less than the boys. However at upper primary level one gets an opposite picture. Community wise 34 per cent students belong to SC category, nine per cent to ST category, four per cent to OBC and twelve per cent to minority community. The participation of SC girls to schools is quite encouraging and relatively better than the boys. On the other hand, though there is a sizeable section of population belongs to minority community their overall participation to school education is less and particularly the presence of minority girls in schools is quite low.

Grants from Sarva Shiksha Abhiyan have gradually decreased over the years. The gradual decline in the allotment of grants for civil works needs to be reviewed properly. In civil works under Sarva Shiksha Mission major emphasis has been given to the infrastructural development of mainly primary schools. It is quite interesting that only eight per cent of schools invested fund for improving drinking water and toilet facilities. More specifically only eight per cent of primary and three per cent of Upper Primary Schools used the fund for extending drinking water and toilet facilities to the students and staff. As regards to utilization of grants received by the schools the situation is quite encouraging.

The study reveals that in the matter of implementation/ execution of civil works under Sarva Shiksha Mission a healthy democratic of decision making process was adopted in most of the cases. Interestingly the teachers of the secondary schools had no involvement in supervision of civil works carried out by their Institution. Most of the schools completed their civil works and related activities under Sarva Shiksha Mission at best within a year or so.

In many primary schools classes of different levels are held in a common hall without any partition. It has been observed that 33 per cent of school buildings are of tin roofed and in another 25 per cent cases it is of RCC fame. The students and teachers faced problems in the tin shed buildings particularly during summer. The situation is worse in cases where there is no electricity and arrangement of fans. So measures can be taken to replace the tin roofed sheds with RCC frame or any other suitable arrangements of roofing or ceiling. There was a persistent problem of space almost in every school.

The schools largely serve the interest of students belonging to weaker sections and it is quite appreciating. A sizeable section (29%) of parents are found illiterate and only seven per cent of them were having graduate or above degrees. With this educational background of the parents the role of the schools are quite important in educating their children.

Among 1885 school going children only 52 boys and 36 girls (in total 88) were dropouts in the Siliguri Educational District. It is a very negligible figure of dropouts as compared to the situation prevailing in other parts of the country. It signifies the success of the movement Education for All advanced by Sarva Shiksha Mission in this region. The present study reveals that by promoting infrastructural development to schools, the Sarva Shiksha Mission, Siliguri Educational District has some what successfully acted as a catalyst for attracting as well as serving the neighbouring people or families, mostly from weaker sections and poor class, towards the attainment of Universal Elementary Education of their children.

References:

1. Ministry of Human Resource Development, Department of Education, Government of India 1998 : National Policy on Education 1986 (as modified in 1992) with National Policy on Education, 1968
2. Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education and Literacy, Government of India: Education for All, National Plan of Action, India
3. Ministry of Human Resource Development, Department of Elementary Education and Literacy, Government of India 2004: Sarva Shiksha Abhiyan: A Programme for Universal Elementary Education
4. Ministry of Human Resource Development, Government of India 1999: Annual Report 1997 - 98
5. A Team of Evaluators 2008: Impact of Civil Works under Sarva Shiksha Mission: A Study of Siliguri Educational District; Department of Adult, Continuing Education, Extension & Field Outreach University of North Bengal

घोषणा
फार्म – 4 (नियम 8 के अनुसार)

1. प्रकाशन का स्थान	17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002
2. प्रकाशन की अवधि	मासिक
3. प्रकाशक का नाम	डॉ. मदन सिंह
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002
4. मुद्रक का नाम	डॉ. मदन सिंह
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002
5. सम्पादक	डॉ. मदन सिंह
राष्ट्रीयता	भारतीय
पता	17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002
6. उन व्यक्तियों के नाम व पते	भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
(जो इस पत्रिका के स्वामी/भागीदार हैं)	शफीक मेमोरियल
	17–बी, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली – 110002

मैं, डॉ. मदन सिंह एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

हस्त./–
डॉ. मदन सिंह
प्रकाशक

दिनांकः 1/3/2010

हमारे लेखक

उषा राय,
65, आवास विकास कालोनी,
माल एवेन्यू, लखनऊ – 226001
(उत्तर प्रदेश)

राजेश कुमार
एवं भारती कुरील,
नयापुरवा, पुरनिया तिराहा,
सीतापुर रोड़,
लखनऊ – 226020 (उ. प्र.)

अरूण प्रकाश
समन्वयक विस्तार सेवायें
शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय,
उज्जैन (म.प्र.)

निशात फारूख
जे–346 सरीता विहार
नई दिल्ली–110076

वी. माहेनकुमार
निदेशक
भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ
नई दिल्ली

एम. यू. अलाम
प्रोजेक्ट ऑफिसर
डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट, कन्टिन्यूइंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन
नार्थ बंगाल यूनिवर्सिटी
सिलिगुड़ी – 734 103
(पश्चिम बंगाल)

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ

कार्यकारिणी समिति

संरक्षक

प्रो. भवानीशंकर गर्ग

अध्यक्ष

श्री कैलाश चौधरी

उपाध्यक्ष

श्रीमती राजश्री बिस्वास
प्रो. ए.एच. खान
प्रो. अरूण मिश्रा
डा. एल. राजा
प्रो. एस.वाई. शाह

महासचिव

डॉ. मदन सिंह

कोषाध्यक्ष

डा. मनोहर सिंह राणावत

संयुक्त सचिव

श्री ए.एल. भार्गव

सह–सचिव

श्री सुधीर चटर्जी
श्री प्रफुल्ल नागर
डॉ. पी.ए. रेड्डी
डॉ. निर्मला नुवाल

सदस्य

श्रीमती इन्द्रा पुरोहित
सुश्री कुन्दा सुपेकर
श्रीमती सुरेखा खोत
प्रो. सुशीले गौडा
डॉ. मफतलाल पटेल
प्रो. वी. रेघु
डॉ. एस.एल. शर्मा
डॉ. ओ.पी.एम. त्रिपाठी

सहयोजित सदस्य

श्री एच.सी. पारीख
प्रो. सुरेन्द्र सिंह
सुश्री निशात फारूख़
श्री हरीश कुमार एस.
श्री सुरेश चन्द्र खण्डेलवाल

पोस्टल रजिस्ट्रेशन नं0 डी.एल.(सी)-01/1158/10-12
प्रौढ़ शिक्षा मार्च 2010, आर.एन.आई. 4551/57

"If all the trees were one tree, what a great tree it would be; if all the rivers were one river, what a great river it would be." That is why I would like to say, if all the women in the world work unitedly, what a great work it would be, if they speak in one voice what a great voice it would be to bring peace, prosperity and happiness in the world."

- Shrimati Pratibha Devisingh Patil, at the launching of National Mission for Socio Economic Empowerment of Women

स्वत्वधिकारी भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ के लिए महासचिव डा. मदन सिंह द्वारा 17–बी आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–2 से प्रकाशित, सम्पादित और उनके द्वारा मैसर्स–ग्राफिक वर्ल्ड, 1686, कूचा दखिनी राय, दरियागंज, नई दिल्ली–2 से मुद्रित।

वर्ष 53 अंक 8

एक प्रति 10 रूपये
मार्च 2010

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़, सतत एवं आजीवन शिक्षा जगत का मुख पत्र

भारतीय प्रौढ़ शिक्षा संघ